स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–25, अंक–3
फाल्गुन – चैत्र 2073–74, मार्च 2017

संपादक
अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–6

भारत एक अंतरिक्ष महाशक्ति

प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

09 आवरण कथा-2
'इसरो' का अर्थशास्त्र
.... डॉ. अश्वनी महाजन

11 विमर्श
सर्वोच्च न्यायालयः क्या एक अमृत धारा?
.... अनिल जवलेकर

13 विज्ञान
भारतीय दर्शन का समर्थन करती नई भौतिकी
.... अरूण तिवारी

15 ज्वलंत मुद्दा
शैक्षिक संस्थानों को 'जेहादी–नक्सली गठजोड़' से मुक्त करवाने की जरूरत
.... डॉ. सुभाष शर्मा

17 कृषि
बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी
.... डॉ. देविन्दर शर्मा

19 मुद्दा
आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से हिचकिचाहट क्यों?
.... आशीष रावत

22 मुद्दा-2
''वर्तमान शिक्षा में समाहित हो–उद्यमिता विकास''
.... डॉ. रेखा भट्ट

24 समीक्षा
डिजिटल अर्थव्यवस्था की सीमा
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

26 विचार
पशुधन विविधता पर मंडराता संकट
.... रमेश दुबे

28 संस्मरण
भारत भक्त भगिनी निवेदिता
.... डॉ. राजीव कुमार

30 आयुर्वेद
रात्रिचर्या एवं निद्रा का महत्व
.... वैद्या हेतल दवे

38 अभियान
राष्ट्रीय स्वदेशी – सुरक्षा अभियान

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 35-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

पाठकनामा

कब तक सहेगा हिन्दू

बंगाल का धुलागढ़ उन्मादियों की बर्बरता का एक ऐसा उदाहरण है जिसे भारतवासी अनदेखा नहीं कर सकते। कब तक हिंदुओं की पीड़ा और दर्द का उबाल ऐसे ही देश सहता रहेगा। बंगाल में पहले वामपंथी शासन में हिंदुओं पर जुल्म ढहाये जाते रहे, अब ममता की तृणमूल सरकार में भी हिंदू ही निशाना बन रहे हैं। जो लोग दूर बैठे हैं उन्हें हिंदुओं की पीड़ा से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो ऐसी खबरे अतिरंजित और उन्माद फैलाने वाली लगती हैं। लेकिन जब वे हकीकत देखेंगे तो उन्हें घटना की गंभीरता का अंदाजा होगा। हिंदुओं पर हुई हिंसा सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि कलंक है। इसे इंसानियत का पतन ही तो कहेंगे कि इन बेचारे हिंदुओं के घर जलने के बाद भी इनके आंसू तक पोंछने कोई नहीं गया। लेकिन जहां एक मुसलमान मरता है तो पूरी सेकुलर जमात और झोलेधारी मानवाधिकारी कार्यकर्ता हांफते हुए पहुंच जाते हैं और असहिष्णुता का अहसास होने लगता है तथा अवार्ड लौटाने शुरू होते है। लेकिन धुलागढ़ जाने के लिए उन्हें समय नहीं मिला, न ही असहिष्णुता हुई और न ही कोई अवार्ड लौटाया गया। यहां कई दिनों तक उन्मादियों द्वारा उत्पात मचाया जाता रहा लेकिन राज्य की ममता सरकार को भी कुछ नहीं दिखा। यहां तक कि किसी भी मीडिया चैनल ने इसकी कवरेज नहीं दिखाई (एक–दो मीडिया चैनलों को छोडकर) और ना ही कोई डिबेट हुई। क्या सरकार/मीडिया को इनकी चीखें सुनाई नहीं दी? उल्टे उनका प्रशासन हिंदुओं को सुरक्षा देने के बजाए अपने घर छोड़कर भागने के लिए कहता दिखाई दिया। केंद्र सरकार को इस हिंसा की कड़ाई से जांच करानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल हों, उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाना चहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी, संगठन या अधिकारी क्यों न हों।

हरिहर सिंह चौहान, *इंदौर (म.प्र.)*

*****

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

ट्वीट्स

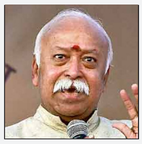

हिन्दू समाज में भाषा, जाति और पूजा पद्धति की भिन्नता है, लेकिन इससे हमारी एकता को कोई खतरा नहीं है। यह विविधता तो हमारी पहचान है।

मोहनराव भागवत

सरसंघचालक, रा.स्व.सेवक संघ

भारतीय मीडिया दुनिया में दूसरा सबसे अधिक भ्रष्ट मीडिया है।

वर्ल्ड इक्नोमिक फोरम की रिपोर्ट

भारत सरकार चीनी मोबाईल कंपनी ओपो के भारतीय क्रिकेट टीम के प्रायोजक बनने के प्रयास पर रोक लगाये।

डॉ. अश्वनी महाजन

राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्व.जा.मंच

मांग कम होने के कारण कोका-कोला जयपुर, आंध्र प्रदेश व मेघालय के अपने तीन बॉटलिंग प्लांट बंद कर रहा है।

कोका–कोला प्रवक्ता

संपादकीय

स्वदेशी प्रयास का एक खूबसूरत उदाहरण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक ही बार में 104 सेटेलाईटों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित कर, न केवल दुनिया को चकित करते हुए उसे भारत को लोहा मानने के लिए विवश कर दिया है, बल्कि उन सभी नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को एक करारा जवाब दिया है, जो यह मानते है कि बिना विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी के देश का विकास नहीं हो सकता। दुनिया भर के समाचार पत्रों और अन्य पत्र–पत्रिकाओं, जो भारत के वैज्ञानिकों के प्रयासों का मजाक उड़ाने में कभी चूकते नहीं थे, की बोलती बंद हुई है। इसरो ने बार–बार साबित किया है कि प्रतिबद्धता, कुशलता और निरंतर प्रयास के साथ काम करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 'इसरो' की 'पोलर सेटेलाईट लांच व्हिकल (पी.एस.एल.वी.)' ने अपनी 39वीं उड़ान में एक ही बार में 104 सेटेलाईटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर एक रिकार्ड स्थापित किया है। गौरतलब है कि अभी तक रूस द्वारा एक ही बार में 37 सेटेलाईटों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकार्ड था। दुनिया भर में भारत पर दृष्टि रखने वाले विश्लेषकों ने भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धि को तो सराहा ही, भारत दुनिया को यह भी बताने में सफल हो सकता कि वो यह काम अत्यंत किफायत से संपन्न कर रहा है। समझना होगा कि यह कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम (विशेष तौर पर भारत जैसे विकासशील देश के लिए) एक अत्यंत जोखिम भरा होता है और इसके लिए खासी विशेषज्ञता और कुशलता की जरूरत होती है। 17000 किमी. की यात्रा मात्र 1 घंटे में करने के बाद, अकेले रॉकेट से 104 सेटेलाईटों को लगातार एक–एक कर तेजी से अंतरिक्ष में स्वयं से अलग करने की प्रक्रिया का जोखिम यह होता है कि यदि उन्हें गलत दिशा में छोड़ा जाता है या उनमें थोड़ी भी खराबी आ जाती है, तो वे एक दूसरे से टकरा सकते है। इस उड़ान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत को 300 अरब डालर के अंतरिक्ष बाजार में एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अब भारत को देखा जा रहा है, जो दुनिया के देशों खासतौर पर, विकासशील देशों की संचार प्रणाली और भू–गर्भ सर्वेक्षणों के लिए एक किफायती विकल्प प्रस्तुत करता है। भारत में विभिन्न अंतरिक्ष मिशनों की लागत रूस, यूरोप और अमरीका से कहीं कम आती है। कुछ समय पहले जब भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की परिधि में पहुंचा तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना हॉलीवुड फिल्म 'ग्रेविटी' से की थी और यह कहा था कि हमारे मंगल अंतरिक्ष अभियान का खर्च इस हॉलीवुड फिल्म के खर्च 10 करोड़ डालर से भी कम रहा है। जबकि अमरीका के 'नासा' के 'मेवन' मिशन की लागत 67 करोड़ डालर से भी ज्यादा थी। देखा जाये तो भारत के मंगल अभियान की लागत 'नासा' के 'मेवन मिशन' का नौवां हिस्सा भी नहीं थी। भारत के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान के भेदभाव से पार पा लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिखाया है कि कल्पना की शक्ति से हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऊंचाईयों तक पहुंच सकते हैं।

आज का प्रश्न यह है कि जब हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू कर दुनिया को अचम्भित कर सकते है तो इस प्रकार के उद्यम की पुनावृत्ति अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हो सकती? इसके कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे स्वभाविक कारण यह है कि जिस प्रकार अन्य सरकारी क्षेत्रों में अफसरशाही रूकावट बनती है, 'इसरो' के संबंध में ऐसा नहीं हुआ। सामान्यतौर पर नीति निर्माण में राजनेता और अफसरशाही के प्रतिनिधियों का दबदबा होता है और अंतिम उपयोगकर्ता की नीति निर्माण में कोई भूमिका नहीं होती। आज समय आ गया है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की स्वदेशी भावना को पुनः स्थान दिया जाए और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए देश को समृद्ध बनाने के जज्बे के साथ हर क्षेत्र की पुनर्रचना की जाए, ताकि देश आगे बढ़े, जैसा 'इसरो' ने पहले भी किया और उसकी लगातार पुनरावृत्ति भी वह कर रहा है। ❑

भारत एक अंतरिक्ष महाशक्ति

अपनी 39वीं उड़ान के साथ हमारा ध्रुवीय प्रक्षेपण यान तो अब विश्व का सबसे विश्वसनीय भरासेमंद सैटेलाइट लांच व्हीकल बन ही गया है। वस्तुतः 1993 से लेकर अब तक प्रक्षेपण यान की 38 उड़ानों में कई भारतीय और 180 विदशी उपग्रह भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किये है।

– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

भारतीय अंतरिक्ष संगठन (इसरो) ने फरवरी 15, 2017 को एक ही रॉकेट से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके एक नवीन विश्व कीर्तिमान रचा है। इन 104 उपग्रहों में भारत का पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह कार्टोसेट–2 प्रमुख है। श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किये इस एकल मिशन प्रक्षेपण के अंतर्गत एक ही प्रक्षेपण यान या रॉकेट से प्रक्षेपित किए उपग्रहों की, विश्व में यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब तक यह कीर्तिमान रूस के नाम था, जिसने 2014 में एक बार में 37 उपग्रह प्रक्षेपित किये थे। देश में ही विकसित इस ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पीएसएलवी – सी37 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लांच पैड से सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर सफल उड़ान भरी। इसने सबसे पहले भारत के कार्टोसेट–2 श्रेणी के उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया और इसके बाद शेष 103 नैनो उपग्रहों को 30 मिनट में प्रवेश कराया गया। इनमें 96 उपग्रह अमरीका के थे। कुल 104 में से 3 को छोड़कर शेष सभी उपग्रह अन्य देशों के थे। हमारे इस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) का यह लगातार 38वां सफल मिशन है। इन सभी उपग्रहों सैटेलाइट्स को फरवरी 15, 2017 (बुधवार) सुबह 9:28 बजे पीएसएलवी–सी37 (पॉलर सैटेलाइट लांच व्हीकल) से लांच किया गया। मंगलवार (फरवरी 14, 2017) सुबह 5:28 बजे इसका 28 घंटे का काउंटडाउन शुरू हुआ था और 15 फरवरी को 9:28 पर इसे प्रक्षेपित कर दिया। इन 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण के मिशन में भारत के 3 और अमेरिका की प्राइवेट फर्म्स के 96 सैटेलाईट्स हैं। इनके अतिरिक्त, 1–1 सैटेलाइट इजरायल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात का है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रक्षेपण लांचिंग की इस अपूर्व सफलता पर इसरो को बधाई दी। अब तक इसरो कुल 180 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। इसका विवरण इस प्रकार है– अमरीकी उपग्रह–114, कनाडा के उपग्रह–11, जर्मनी–10, सिंगापुर–8, इंग्लैण्ड–6, अल्जीरिया–4, इण्डोनेशिया, जापान, स्विट्जरलैंड के 3–3 (कुल 9), इजरायल, नीदरलैंड, डैनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के 2–2 (कुल 10), दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, इटली, तुर्की, लक्जेमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात व कजाकिस्तान के 1–1 (कुल 8)। इसरो ने यह तीसरी बार एक से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किये है। इस सी–37 ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से सबसे पहले 714 किलो के कार्टोसेट–2 सीरीज के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया। इसके बाद 664 किलो वजनी बाकी 103 नैनो सैटेलाइट्स को धरती से 520 किलोमीटर दूर सन ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसरो ने अपनी व्यवसायिक शाखा अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर साल 1999 से विदेशी सैटेलाइट्स को लांच करने का कार्यक्रम शुरू किया था। वर्ष 2014 में इसरो ने अकेले ही दूसरे देशों के 22 सैटेलाइट्स लांच किए थे। एकल मिशन में कई उपग्रह छोड़ने का इसरो का यह तीसरा अवसर है। इसरो ने पहले 2008 में एक बार में 10 और जून, 2015 में 23 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए थे।

इसरो ने कार्टोसेट–2 सीरीज का चौथा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है। इसके माध्यम से दूर संवेदी सेवाएं (रिमोट सेसिंग सर्विस) मिलेगी। इसके माध्यम से भेजे चित्रों से तटीय क्षेत्रों में यातायात नियमन, जल वितरण, मैप रेग्युलेशन, समेत कई कामों में सहायता मिलेगी।

भारत का पीएसएलवी विश्व का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान (लांच व्हीकल) माना जाता है। अब भारत अपने भू–समस्थैतिक प्रक्षेपण यान अर्थात जियोसिंक्रानस लॉच वेहीकल (जीएसएलवी) पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। दो हजार किलो से अधिक भार के उपग्रहों का प्रक्षेपण जीएसएलवी से ही संभव है। इसके द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह द्वारा 24 घण्टे में एक परिक्रमा करने के कारण उसे स्थान विशेष पर भू–सापेक्ष स्थिति में स्थिर किया जा सकेगा। इस हेतु अब भारत को जीएसएलवी मेक–2 व मेक–3 पर बल देना है। इनसे हम 5 टन तक के उपग्रह प्रक्षेपित कर सकेंगे। मेक–2 का तो सफल परीक्षण विगत सितंबर 2016 में कर चुके हैं। जीएसएलवी का प्रथम परीक्षण भारत 2014 के जनवरी माह में ही कर चुका है। उपग्रह प्रक्षेपण के 300 अरब डालर के बाजार में फ्रांस व चीन से स्पर्द्धा की दृष्टि से अब भारत की दृष्टि जीएसएलवी के संवर्द्धन पर लगी है।

भारत का पीएसएलवी विश्व का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रक्षेपण यान (लांच व्हीकल) माना जाता है।

अपनी 39वीं उड़ान के साथ हमारा ध्रुवीय प्रक्षेपण यान तो अब विश्व का सबसे विश्वसनीय भरासेमंद सैटेलाइट लांच व्हीकल बन ही गया है। वस्तुतः 1993 से लेकर अब तक प्रक्षेपण यान की 38 उड़ानों में कई भारतीय और 180 विदशी उपग्रह भी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किये है। इस बार 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण में हमारे वैज्ञानिकों ने पीएसएलवी के पावरफुल XL वर्जन का उपयोग किया है। वर्ष 2008 में हमारा मिशन चन्द्रयान और 2014 का मिशन मंगलयान भी इस अति विश्वसनीय प्रक्षेपण यान से सफल हो सके थे। अब अपनी इस विश्वसनीयता के कारण उपग्रह प्रक्षेपण, भारत के लिए आय का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत अंतरिक्ष प्रक्षेपण के बाजार में भरोसेमंद प्रक्षेपण देश बनकर उभरा है और भारत ने अब तक विश्व के 21 देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, जिसमें गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के उपग्रह भी सम्मिलित रहे हैं। पीएसएलवी की कुल 39 उड़ानों में से 37 पूर्ण सफल व एक आंशिक सफल रही है, जो एक विश्व कीर्तिमान है।

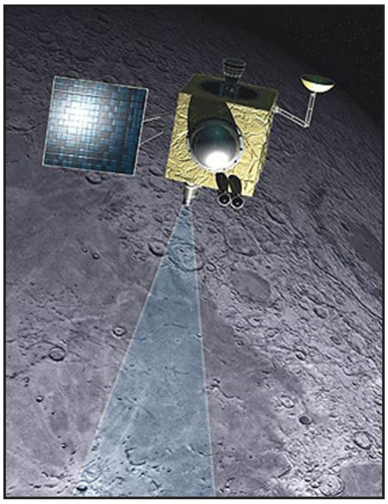

2008 में इसरो ने चंद्रयान बनाकर इतिहास रचा था। 22 अक्टूबर 2008 को स्वदेश निर्मित इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा गया था। इससे पहले ऐसा केवल 6 देश सफलतापूर्वक कर पाए थे।

एक साथ ही अब 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने के बाद इस बाजार में भारत की जगह और सुदृढ़ होगी। अमरीका की तुलना में भारत से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का व्यय लगभग करीब 60–65 प्रतिशत कम होता है। इस प्रकार मात्र एक तिहाई लागत में भारत किसी भी देश का उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सकता है। इसरो के अब ऐसे कई कीर्तिमान बन चुके है।

इसरो ने 1990 में धुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) को विकसित किया था, 1993 में इस यान से पहला उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया, जो भारत के लिए अत्यंत गर्व की बात थी। इससे पहले यह सुविधा केवल रूस के पास थी। भारत का चन्द्रयान भी इसरो का एक अहम् कीर्तिमान है 2008 में इसरो ने चंद्रयान बनाकर इतिहास रचा था। 22 अक्टूबर 2008 को स्वदेश निर्मित इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा गया था। इससे पहले ऐसा केवल 6 देश सफलतापूर्वक कर पाए थे। इसलिये भारतीय मंगलयान ने तो इसरो को विश्व मानचित्र पर अत्यंत दैदीप्यमान स्थान दिलाया है। मंगल तक पहुंचने में पहले प्रयास में सफल रहने वाला भारत विश्व का एकमात्र व सबसे पहला देश बना है। अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसियों को कई प्रयासों में बाद मंगल तक पहुंचने में सफलता मिली थी। चन्द्रयान की सफलता के बाद मिली इस सफलता के बाद भारत की चर्चा अंतरिक्ष अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी।

इसके पूर्व जीएसएलवी मार्क–2 का सफल प्रक्षेपण भी भारत के लिए अत्यंत बडी सफलता थी, क्योंकि इसमें भारत ने अपने ही देश में बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगाया था। इससे अब भारत को बड़े 2000 किलो से ऊपर के उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। अब भारत मार्क–3 भी विकसित कर रहा है। इसमें हम 5000 किलो तक के भी उपग्रह प्रक्षेपित कर भू–स्थैतिक कक्षा में स्थापित कर सकेंगे।

इसरो ने भारत को अपना स्वदेशी नौवहन तंत्र (नेविगेशन सिस्टम) भी दिया, यह भी हमारी अत्यंत कीर्तिमयी उपलब्धी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 28 अप्रैल 2016 को भारत का सातवां नेविगेशन उपग्रह (इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) लांच किया था। इसके साथ ही इसरो के माध्यम से भारत को अमेरिका के ज्योग्राफिकल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के समान अपना खुद का नौवहन तंत्र नेविगेशन सिस्टम मिल गया है। इससे पहले यह क्षमता अमेरिका और रूस के पास ही थी। इस प्रकार अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने और विश्व में सबसे कम लागत पर सर्वाधिक विश्वसनीयता पूर्व प्रक्षेपण के क्षेत्र में अब इसरो का स्थान अत्यंत प्रतिष्ठापूर्ण है। ❑❑

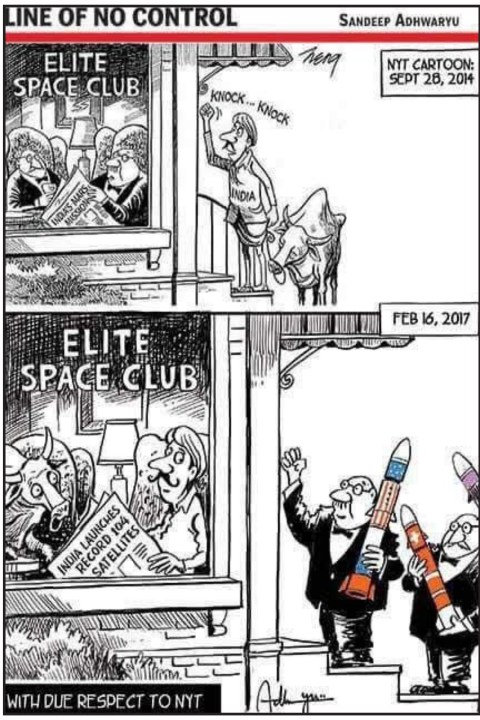

28 सितंबर 2014 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अमरीकी अखबार न्यूयार्क टाईम्स ने एक कार्टून द्वारा मजाक उड़ाया था। इसरो द्वारा 15 फरवरी 2017 को एक ही बार में 104 सेटेलाईटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के बाद भारत के लोकप्रिय समाचार पत्र टाईम्स ऑफ इंडिया ने 16 फरवरी को उसी प्रकार के कार्टून द्वारा जवाब दिया, जिसमें दिखाया गया है कि अब दुनिया के अमीर देश भारत से उनके अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहयोग मांग रहे हैं।

'इसरो' का अर्थशास्त्र

अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाते हुए भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन (इसरो) द्वारा पीएसएलवी (पोलर स्पेस लांच व्हिकल) के माध्यम से 104 सेटेलाइटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। गौरतलब है कि पीएसएलवी के प्रारंभ से अभी तक 39 मिशन लिए गए हैं, जिसमें से पहले को छोड़ लगातार 38 मिशनों में उसे कामयाबी हासिल हुई है। अपने इस 39वें मिशन में पीएसएलवी ने 1378 किलोग्राम वजन के 104 अंतरिक्ष यान (सेटेलाइट) अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 104 यानों में से मात्र तीन यान भारतीय थे और शेष 101 यान विदेशी थे। इसमें से 96 अमरीका के थे, जबकि एक–एक यान नीदरलैंड, स्वीटजरलैंड, इजराइल, कजाखस्तान और यूएई से थे। इनमें से 8 को छोड़ शेष सभी निजी कंपनियों के अंतरिक्ष यान थे, जिसमें से कोई भारतीय नहीं था। गौरतलब है कि भारत में किसी कंपनी को व्यवसायिक कार्यों के लिए निजी सेटेलाइट ऑपरेशन की इजाजत नहीं है। मात्र 28 मिनटों में ही पीएसएलवी ने यह यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सभी 104 सेटेलाइटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने रूस का 37 सेटेलाईटों की एक साथ प्रक्षेपित करने का रिकार्ड तोड़ दिया है।

भारत में किसी कंपनी को व्यवसायिक कार्यों के लिए निजी सेटेलाइट ऑपरेशन की इजाजत नहीं है। मात्र 28 मिनटों में ही पीएसएलवी ने यह यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सभी 104 सेटेलाइटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने रूस का 37 सेटेलाईटों की एक साथ प्रक्षेपित करने का रिकार्ड तोड़ दिया।

– डॉ. अश्वनी महाजन

यूं तो अंतरिक्ष अभियानों सरीखे प्रकल्पों के लिए सरकारी बजट से धन उपलब्ध कराना देश में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्यधिक औचित्यपूर्ण है ही, लेकिन यदि इन अभियानों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति भी हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? 101 विदेशी सेटेलाईटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो 300 अरब डालर के अंतरिक्ष बाजार का एक बड़ा दावेदार बन गया है। दुनिया में इस प्रकार की सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे एरियन स्पेस एवं स्पेसएक्स की तुलना में 3 से 5 प्रतिशत लागत पर ही, इसरो यह सेवा प्रदान करता है। गौरतलब है कि जहां वर्ष 2013 और 2015 के बीच जबकि इसरो ने मात्र 30 लाख डालर प्रति सेटेलाईट का शुल्क किया, जबकि एरियन स्पेस के रॉकेट छोड़ने की लागत ही 1000 लाख डालर आती है। स्पेसएक्स प्रति सेटेलाईट छोड़ने के लिए 600 लाख डालर वसूल करता है। आज जबकि इसरो द्वारा बिना किसी असफलता के सभी रॉकेट छोड़ने की उपलब्धि के बाद दुनिया भर में इसरो की विश्वसनीयता कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि इसरो की व्यवसायिक इकाई 'एन्ट्रिक्स' की प्राप्तियां 2013 और 2015 के बीच 69 लाख यूरो से बढ़कर 555 लाख यूरो हो गयी हैं। यानि 8 गुणा ज्यादा। इस साल जिस गति से अंतरिक्ष यान छोड़े जा रहे हैं, लगता है कि इसरो की प्राप्तियां उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। 'एन्ट्रिक्स' के लाभ

2015 में 205 प्रतिशत बढ़ गये और यदि 2016 की उपलब्धियों को देखें तो यह लाभ कई गुणा बढ़ सकते हैं।

किफायत भी और शोध भी

यूं तो अभी तक इसरो द्वारा 226 सेटेलाईट अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 180 विदेशी हैं। लेकिन इसरो की साख केवल अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के कारण ही नहीं है। 5 नबंवर 2013 को मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक भेजकर, दुनिया को भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल का लोहा मनवाने के लिए मजबूर कर दिया था। सितंबर 24, 2014 को मंगल ग्रह के पास पहुंचकर यह मंगलयान पृथ्वी पर मंगल ग्रह के चित्र भेज रहा है। दुनिया भर के लोगों की दूसरे ग्रहों के बारे में जानने की उत्सुकता स्वभाविक तौर पर रहती ही है, लेकिन अंतरिक्ष में खोजी यान भेजकर, वहां के बारे में जानकारियां एकत्र करने की योजना को कार्यान्वित करना कोई साधारण बात नहीं होती। मंगल अभियान के जरिए भारत ने दुनिया में इस प्रकार का प्रयास करने वाले कल्ब में अपनी जगह बना ली है। गौरतलब है कि अमरीका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ही मंगल ग्रह के लिए अपने अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके हैं। अभी चीन और जापान भी मंगल ग्रह को अपने यान भेज नहीं पाये हैं। इस प्रकार अब मंगल अभियान की शुरूआती सफलता के बाद भारत भी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया है। बड़ी बात यह है इतने गौरवशाली मंगल अभियान पर मात्र 450 करोड़ रूपए ही खर्च हुए, जबकि शेष दुनिया में इस प्रकार के अभियानों पर कहीं ज्यादा खर्च होता है।

भारत है दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली

हालांकि पूर्व में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है।

भारत दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली होने का गौरव भी रखता है। दुनिया के कई मुल्कों को संचार सुविधायें भारत द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं।

अपने और दुनिया के दूसरे मुल्कों के सेटेलाईट भेजकर अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति के माध्यम से आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी, मौसम की सूचनायें ही नहीं, धरती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करवाने के कारण दुनिया भर के देशों को सेवायें प्रदान कर रहा है। आज अपने उपग्रहों के माध्यम से, भारत दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली होने का गौरव भी रखता है। दुनिया के कई मुल्कों को संचार सुविधायें भारत द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में आये तूफान के बावजूद हम लाखों जीवन और संपत्ति बचाने में इसलिए कामयाब हो सके क्योंकि हमारे उपग्रहों ने यह पता लगा लिया कि एक भारी तूफान उड़ीसा की ओर जा रहा है। यही नहीं मनरेगा के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यो की देखरेख भी सेटेलाईटो माध्यम से कर विकास कार्यों में कुशलता लाई जा रही है।

इन अंतरिक्ष अभियानों के फायदे देशवासियों के लिए अगणनीय है। दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली, उच्च कोटि मौसम की जानकारियां ही नहीं बल्कि भूगर्भ के बारे में भी हमारे उपग्रह बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं। अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से भारत द्वारा दूसरे मुल्कों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में भी बड़ी राशियां प्राप्त होती हैं। इसलिए भारत का अंतरिक्ष अभियान अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी भारी फायदे का सौदा है।

बढ़ रहा है दुनिया में भारत का सम्मान

यही नहीं अपने अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों के कारण भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ता जा रहा है। यह सही है कि अभी भी दुनिया के कुल भूखों में से एक चौथाई भारत में बसते हैं। लेकिन इस भूख से निजात पाने के लिए भी अंतरिक्ष अभियानों का एक खासा महत्व है। अरबों खरबों की संपत्ति और लाखों जीवन बचाने के साथ–साथ भारत को विज्ञान की दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का भी श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को जाता है। 104 सेटेलाईटों के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत का मजाक उड़ाने वाले विदेशी अखबारों की बोलती बंद हुई है।

अभी और आगे है जाना

भारत द्वारा इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद यह आशाएं और बलबती हुई हैं कि भारत अंतरिक्ष अभियान में नई ऊचाईयां छू पायेगा। अभी तक भारत अंतरिक्ष क्लब के देशों द्वारा भेदभाव का शिकार रहा है। अमरीका और यूरोप के देश भारत को किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता इसके अंतरिक्ष अभियानों में देने के लिए तैयार नहीं थे। इन कारणों से हमारा अंतरिक्ष अभियान कुछ समय के लिए स्थगित जरूर हुआ, लेकिन देश ने आत्मनिर्भरता के आधार पर अपनी प्रौद्योगिकी का विकास खुद करने का काम किया। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा उत्कृष्टता के अनेकोनेक उदाहरण हमारे सामने है। वास्तव में भारत का अंतरिक्ष अभियान भारत के लोगों के लिए ही नहीं, दुनिया भर के गरीब मुल्कों के लोगों के लिए सस्ती संचार व्यवस्था, भूर्गभीय जानकारियां और मौसम संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने वाला है, इस बात के लिए हर भारतवासी गर्व कर सकता है। ❑❑

सर्वोच्च न्यायालयः क्या एक अमृत धारा?

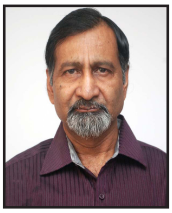

जनहित याचिकाओं के जरिये हर किस्म के मुद्दों को उठाने पर शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्या उन्होंने कोर्ट को अमत धारा समझ रखा है, बच्चे का पेट दर्द हो तो सुप्रीम कोर्ट चलो, सिर दर्द हो तो सुप्रीम कोर्ट चलो... आजकल यह हो गया है कि लोग सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं।

— अनिल जवलेकर

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कोई अमृत धारा नहीं है कि हर बीमारी का इलाज करें। याचिका में शवों को सम्मान के साथ उनके धर्म के मुताबिक अंतिम यात्रा की सुविधा मुहैया कराये जाने की मांग की गयी थी। जनहित याचिकाओं के जरिये हर किस्म के मुद्दों को उठाने पर शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि क्या उन्होंने कोर्ट को अमृत धारा समझ रखा है, बच्चे के पेट में दर्द हो तो सुप्रीम कोर्ट चलो, सिर दर्द हो तो सुप्रीम कोर्ट चलो... आजकल यह हो गया है कि लोग सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आप संबंधित अधिकारियों के पास क्यों नहीं जाते। याचिका में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र था, जहां परिजन अपने मृत लोगों को कई किलोमीटर कंधे पर लेकर चले थे, क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली थी। कोर्ट की यह बात सही है कि आजकल जनहित याचिका दाखिल करने का सिलसिला कुछ बढ़ा है और लोग भी सरकार के बजाय न्यायपालिका से सुधार की अपेक्षा करने लगे है। भारतीय कल्याणकारी शासन व्यवस्था की यही शोकांतिका मानी जाएगी।

कमजोर शासन व्यवस्था

भारतीय शासन व्यवस्था की बागडौर चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आये नेतागण और सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर है। आशा की जाती है कि भारतीय घटना के दायरे में रहकर जरूरी कानून बने और उसपर ठीक ढंग से अमल हो। तभी नागरिकों को कोर्ट जाने की आवशकता नहीं पड़ेगी। कोर्ट में बढ़ रही जनहित याचिका का मतलब है कि ऐसा नहीं हो रहा है, या तो कानून ही नहीं बने है या उनमें कुछ कमियाँ है, या फिर उसे ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया जा रहा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोर्ट अमृत धारा नहीं है। लेकिन व्यवस्था में जो कमियां रही है उसे सरकार को आगाह करने में कोर्ट से अच्छा कोई नहीं हो सकता। वैसे कोर्ट यह कह रहा है कि सरकार को भी अपना काम करना

चाहिए। सही में देखा जाये तो बात सक्षम शासन व्यवस्था की है। भाजपा सरकार का स्वच्छ शासन का वादा है और उसे पूरा करने से बहुत सी बातें आसान हो जाएंगी।

न्याय में देर और भारी आर्थिक बोझ, मूल समस्या

पहली बात यह है कि शासकीय कर्मचारी सीधे काम करेंगे ऐसा नहीं लगता। उसका नतीजा है कि सब जगह बिचौलिया फैले हुए है। सीधे किसी सरकारी दफ्तर में जाने के बजाय नागरिक बिचौलिया या फिर राजनेता के पास जाते है, यह जानते हुए भी कि उनका काम कानून के अनुसार है तथा उनका वह अधिकार है। सरकारी कर्मचारी, बिचौलिये, बलशाली समाज धुरीन और राजनेता इनके संदर्भ में कहा जा सकता है कि इनमें एक साठ गाठ बन गई है, जिसने सारी व्यवस्थाओं को अपने कब्ज़े में कर रखा है। जिससे कानून और न्याय व्यवस्था सामान्य नागरिकों से दूर हो गई है। इसके ऊपर (अपवाद छोड़कर) भारत में वकीलों की एक ऐसी फौज खडी हुई है जिसका काम ही कानून में जो है उसे 'नहीं' और कानून में जो नहीं है उसे 'है' सिद्ध करना बन गया है। न्यायपालिका का समय ऐसे ही वकीलों से उलझने में जाता है और तारीख पर तारीख के चक्कर में मुकदमे प्रलंबित रह जाते है। इससे न्याय व्यवस्था कमजोरों/गरीबों को न्याय नहीं दे पाती। कमजोर भी अन्याय सहन कर लेता है क्योंकि उसमें न व्यवस्था से लड़ने की क्षमता होती है और न आर्थिक क्षमता। ऐसे समय जनहित याचिका वरदान साबित हुई है। इससे न्याय पालिका भी कानून और न्याय व्यवस्था में बदलाव ला रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि जनहित याचिका अब एक सफल न्यायिक प्रक्रिया बन गइ है, जो समाज में बदलाव ला रही है और गरीब और वांचितों को न्याय मिलने में इससे मदद मिल रही है।

जनहित याचिका का सन्मानपूर्वक उपयोग जरूरी

भारत में जनहित याचिका का दौर 1979 से शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य रूप से अन्य व्यक्ति व संस्था को किसी जनहित हेतु याचिका दाखिल करने की अनुमति दी। आज तो यह हाल है कि अखबार में प्रकाशित न्यूज़ को भी जनहित याचिका मानकर कोर्ट कारवाई कर रही है। सामान्य नागरिक भी एक ख़त लिखकर याचिका दाखिल कर सकता है। वैसे जनहित याचिका को आज भी कोई वैधानिक आधार नहीं है लेकिन कोर्ट ने उसे मान लिया है। अपेक्षा सिर्फ इतनी होती है कि याचिका जनसाधारण के व्यापक हितों से जुड़ी और सद्भावनापूर्ण हो तथा स्वार्थ और राजनीति से प्रेरित न हो। यह भी जरुरी है कि जनहित याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। गलत याचिकाकर्त्ताओं को कोर्ट ने जुर्माना लगाना शुरू किया है, यह अच्छी बात है। जनहित याचिकाओं के संदर्भ में कोर्ट ने कहा था कि अगर इसको सही ढंग से नियंत्रित न किया गया और इसके दुरुपयोग को नहीं रोका गया, तो यह अनैतिक हाथों द्वारा प्रचार, प्रतिशोध और राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि का हथियार बन सकती है। जनहित की आड़ में आधारहीन याचिकाओं में निरंतर बढ़ोत्तरी, एक चिंता का विषय है। कई महत्वाकांक्षी स्वयंसेवी संगठन, प्रबुद्ध समाजसेवी, वकील, पत्रकार और अन्य अपने या प्रायोजित मुद्दों पर अदालत में जनहित याचिका दखल करने लगे है। बहुतों ने तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंड और 'मान–सम्मान' भी कमाया है। बहुतों की विश्वसनीयता और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता भी संदेह के घेरे में रही है। अर्थहीन याचिकाएं भी चिंता का विषय है। बहुत बार न्यायपालिका की भूमिका से सरकार की सोच, महत्व की होती है। जनहित याचिका काम नहीं आती। उदहारणार्थ– भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान करने की याचिका या अरब सागर का नाम बदलकर सिंधु सागर करने तथा राष्ट्र गान बदलने संबंधी याचिकाएं।

कानून सुधार एवं स्वच्छ शासन जरूरी

स्वतंत्रता के बाद भारतीयों ने एक नीति बनाई और उसको अमल में लाया गया, जिसमें लोकतंत्र तथा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को महत्व दिया गया। यह बात सभी जानते है कि लोकतंत्र तो चुनाव की राजनीति में फसा है और शासन व्यवस्था मूलभूत अधिकार अभी भी समाज से पोंछ से दूर है, इसी का नतीजा है कि समाज हित में आवश्यक कानून सुधार अभी भी नहीं हो रहे है या चर्चा पर चर्चा में लटके हुए है। यही न्यायपालिका को दखलअंदाजी करने को विवश करता है। यह भुलाया नहीं जा सकता कि शासन व्यवस्था जब विफल नजर आती है तभी न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। भारत अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। अच्छा और स्वच्छ शासन बढ़ती हुई जनहित याचिकाओं को कम कर सकता है और सरकार को उसी ओर ध्यान देना जरूरी है। चुनाव सुधार लोकतंत्र को मजबूत करेगा, इसलिए उसे प्राधान्य क्रम से लागू करना चाहिए। सही आर्थिक नीतियों में किसान आत्महत्या, बेरोजगारी तथा विषमताओं को कम करने की ताकत होती है और कार्यपालिका को उसे विचार विमर्श के साथ लागू करने में जुट जाना चाहिए। यही बातें भारतीय राज्य घटना का मूलमंत्र है और यही बातें नगरिकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करेंगी और यह जब तक नहीं होता तब तक जनहित याचिका मार्ग उपलब्ध रहेगा। ❑❑

भारतीय दर्शन का समर्थन करती नई भौतिकी

करीब 400 वर्षों से वैज्ञानिकों ने प्रकृति को समझने के लिए जिस तकनीक को अपनाया, वह विभिन्न अवयवों के स्वतंत्र अस्तित्व पर जोर देने वाली थी। इसी तकनीक से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मण्ड को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाते हुए ऐसे विज्ञान को गढ़ा, जिसने ऐसी तकनीकी दुनिया का सृजन किया जो उस वक्त भी कल्पनातीत थी; जैसे कि आज से 100 वर्ष पूर्व आज की डिजीटल सृजन की दुनिया रही होगी। 19वीं सदी तक विकसित विज्ञान ने हमारे लिए दैनिक जीवन में सुविधा लाने वाले साधन गढ़े। 19वीं सदी का अंत होते–होते विज्ञान उस रास्ते पर चल निकला, जो सोचता था कि प्रकृति के पास असीमित संसाधन है, उसका जितना दोहन कर सकें, जीवन उतना ही बेहतर होता जायेगा। इसने भोग को बढ़ावा दिया और भोग के लिए धन व स्वार्थ कमाने के व्यवहार को भी। पिछले 50–60 वर्षों के दौरान प्रकृति–पर्यावरण का नाश होते देखा ही है। इसका एहसास होते ही यह आभास भी हुआ कि जिस वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वह समाधान देने की बजाय, समस्या बढ़ाने वाली साबित होगी। ऐसे में बीसवीं सदी में जन्मी नई भौतिकी आशा की किरण कैसे बनी, यह समझने का विषय है।

मैने कहीं पढ़ा है कि 19वीं सदी तक ब्रह्मण्ड का जो चित्र उभरा था, वह घडी से चलने वाली सुई वाला ब्रह्मण्ड था। उसमें सब कुछ पहले से निश्चित व निर्धारित था। एक बारगी ऐसा लगा था कि अब सृजन की गुंजाइश लगभग न के बराबर है, किंतु नई भौतिकी ने बताया कि किसी भी पिण्ड की गति, प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकती। इससे यह भरोसा हुआ कि प्रकाश की गति के अलावा, अन्य सभी प्रकार की गति सापेक्षीय है। इससे सापेक्ष भौतिकी की शाखा आगे बढ़ चली।

19वीं सदी का अंत होते–होते विज्ञान उस रास्ते पर चल निकला, जो सोचता था कि प्रकति के पास असीमित संसाधन है, उसका जितना दोहन कर सकें, जीवन उतना ही बेहतर होता जायेगा। इसने भोग को बढ़ावा दिया और भोग के लिए धन व स्वार्थ कमाने के व्यवहार को भी। – **अरूण तिवारी**

सापेक्ष भौतिकी

सापेक्ष भौतिकी से दिक् और काल तथा ऊर्जा और द्रव्यमान के आभासी विरोधाभास मिट गये। परिणामस्वरूप, पदार्थों के सापेक्षीय स्वभाव का ज्ञान हुआ। बीसवीं सदी में फिर नया सृजन शुरु हुआ। वैज्ञानिक, पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग यानी परमाणु को समझने की दिशा में अग्रसर हुए। परमाणु के भीतर झांकने पर तकनीकी को अपनी सीमा नजर आई। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हुए कि परमाणु की अपनी भी एक आंतरिक संरचना होती है। इसमें 'नाभिक' होता है। नाभिक के अध्ययन के दौरान मूल कणों की खोज ने दिमाग बदला। पदार्थ और प्रकाश के नये अवतारों का ज्ञान हुआ। ये कभी कण, तो कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हुए मिले। इस तरंग व्यवहार का संबंध अस्तित्व में होने या न होने अथवा किसी स्थान पर उपस्थित होने या न होने यानी प्रायिकता से पाया गया। इस तरह पदार्थ–कण, प्रायिकता के तरंगनुमा पैटर्न के रूप में नजर आये।

क्वांटम भौतिकी

क्वांटम भौतिकी से यह ज्ञान हुआ कि सूक्ष्म स्तर पर पदार्थों की वस्तुपरक वास्तविकता नहीं होती। परा–परमाणविक सीमाओं में प्रवेश करने पर पता चला कि प्रायिकता भी वस्तुओं को बनाने वाले अवयव की नहीं है, बल्कि यह अंतर संबंधों के कारण है। इस निष्कर्ष ने एक नई दृष्टि दी कि सूक्ष्मतम स्तर पर पदार्थ तथा उसके मूल कणों के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। मूलकणों के संसार में कण कोई 'ऑबजेक्ट' नहीं, बल्कि अंतर संबंधों का ताना–बाना है। निष्कर्ष यह है कि स्थूल जगत के किलष्ट तत्वों को भले ही अलग–अलग मानें, लेकिन सूक्ष्म जगत में इन्हें अलग–अलग कर पाना संभव नहीं है।

कण भौतिकी

कण भौतिकी ने बताया कि एक तंत्र के सभी अवयव आपस में बहुत गहराई से और अंतरंगता के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात सूक्ष्मतम स्तर पर पदार्थ के मूल कणों के स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। इस कण भौतिकी ने हमारे वैज्ञानिकों के समक्ष एक ऐसा रहस्योद्घाटन किया, जो कि भारत के आध्यात्मिक (आत्म के सूक्ष्मतम का अध्ययन) विश्वास, रहस्यवादी चिंतन यानी भारतीय दर्शनशास्त्र से पूरी तरह मेल खाता है, किंतु यह वैज्ञानिक जगत के लिए प्रकृति समेत एक–दूसरे के अस्तित्व को समझने की एकदम नई दृष्टि थी।

सूक्ष्मतम स्तर पर पदार्थ के मूल कणों के स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं।

नई दृष्टिः समग्र दृष्टि

भेद दृष्टि हमें इंद्रियों यानी मशीनों की मांग की ओर धकेलती थी, जबकि समग्र दृष्टि ने हमें समग्र व्यक्ति की मांग करने की दृष्टि दी। इसे आप विज्ञान के गर्भ से अध्यात्म की उत्पत्ति जैसी स्थिति कह सकते हैं। स्पष्ट हुआ कि किसी भी तंत्र को उसकी पूरी समग्रता में ही समझा जा सकता है। ऐसा न करने से तंत्र को समझने में गलती की पूरी संभावना हमेशा रहेगी।

इस दृष्टि के आते ही अब हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम मानव न अन्य जीव–जगत की वर्तमान समस्याओं को समझने और समाधान को तलाशने के लिए समग्रता के संदर्भों को तलाशें। मसलन, जलवायु परिवर्तन के कारण व समाधान तलाशने के लिए इसे भूगोल, पृथ्वी विज्ञान अथवा पर्यावरण विज्ञान मात्र का विषय मानने की बजाय, तकनीक, कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के भी चिंता और चिंतन का विषय माने।

क्या यह दृष्टि, नई भौतिकी (सापेक्षता भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और कण भौतिकी) की देन नहीं है? क्या यह नई भौतिकी और पुरातन भारतीय दर्शन शास्त्र... दोनों पर गर्व करने लायक स्थिति नहीं है?

विचारणीय बिंदु

इससे बहस का विषय यह निकलता है कि क्या नई भौतिकी और भारतीय दर्शन में कोई साम्य है? क्या इससे हमारी वर्तमान समस्याओं के समाधानों को खोजने का कोई नया मार्ग मिलता है? क्या, इससे वर्गों, जातियों, संप्रदायों के भेद मिटाने की दृष्टि हासिल होती है? क्या इससे जीव–निर्जीव, मनुष्य–अन्य जीव जगत तथा मनुष्य और वनस्पति जगत आदि के अस्तित्व में अंतरंगता अथवा कोई ऐसा ताना–बाना नजर आता है, जो हमें बताता हो कि एक–दूसरे के बिना हममें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है? क्या इससे जीव–निर्जीव का भेद मिटता मालूम होता है? क्या इससे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से अथवा एक मनुष्य का अन्य जीवों अथवा निर्जीव से व्यवहार में सम्मान व बराबरी का भाव लाने का मार्ग खुलता है?

इससे बहस का एक बिंदु यह भी निकलता है कि क्या बेहतर नहीं होगा कि भौतिक विज्ञान के शैक्षिक पाठ्यक्रम व वैज्ञानिक अपने अध्ययन में समग्रता लाने के लिए खिड़की को थोड़ा और खोलें तथा अन्य विषयों के साथ जोड़कर भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना शुरु करें? ❑❑

शैक्षिक संस्थानों को 'जेहादी-नक्सली गठजोड़' से मुक्त करवाने की जरूरत

देश में वैचारिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगाने वाले 'छद्म आजादी ब्रिगेड' के छात्र तथा उनके समर्थक हैं तो दूसरी तरफ 'भारत माता की जय' कहने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले साल लगे 'कश्मीर मांगे आजादी', 'अफजल हम शर्मिंदा हैं' तथा 'तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा' जैसे नारों से यह जंग छिड़ी थी, जो थोड़े दिन ठंडी रहने के बाद रामजस कालेज प्रकरण से फिर भड़क उठी है। रामजस कालेज में देशद्रोह के आरोपी छात्र नेता उमर खालिद को बुलाने के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया जिसमें मारपीट हुई।

यह हिंसा किसने शुरू की और कौन इसका जिम्मेदार है, इसका निर्णय तो न्यायालय करेगा, पर इस हिंसा के लिए विद्यार्थी परिषद को जिम्मेदार ठहराने वाला वीडियो पोस्ट कर एक छात्रा गुरमेहर कौर ने अभिव्यक्ति की आजादी का बिगुल बजा दिया। 'लाल ब्रिगेड' के लिए तो यह वीडियो एक वरदान बनके आया क्योंकि यह छात्रा एक शहीद की बेटी है। पिछले एक साल से अपने देश विरोधी नारों के कारण रक्षात्मक रुख अपनाने वाली यह ब्रिगेड एकदम आक्रामक हो गई क्योंकि अब उन्हें एक सुरक्षा कवच मिल गया था।

देश के सारे वामपंथी, लाभ के पद गंवाने से कुंठित बुद्धिजीवी और राजनीतिक रसातल में जा चुके राजनीतिक नेता इस ब्रिगेड के हक में मैदान में आ डटे हैं। एक साल के वनवास के बाद अवार्ड वापसी और असहिष्णुता वाला गैंग भी पूरे जलाल पर है। मीडिया का एक

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले साल लगे 'कश्मीर मांगे आजादी', 'अफजल हम शर्मिंदा हैं' तथा 'तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा' जैसे नारों से यह जंग छिड़ी थी, जो थोड़े दिन ठंडी रहने के बाद रामजस कालेज प्रकरण से फिर भड़क उठी है।

– डॉ. सुभाष शर्मा

बड़ा तबका जो विदेशी धन पर पलता है, ऐसा वातावरण बनाने में लग गया है जैसे इस देश में बोलने की आजादी को सच में कुचला जा रहा है।

क्या सच में ऐसा है? आईए जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। बात गुरमेहर से शुरू करूंगा जिसको केंद्र में रखकर यह पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है। वैसे तो भारत की हर बेटी सम्मान योग्य है पर एक शहीद की बेटी होने के नाते इसके लिए मन में सम्मान और बढ़ जाता है। मैं उसकी अभिव्यक्ति की आजादी का पुरजोर समर्थन करता हूं। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको धमकी दी है उन्हें सख्त सजा मिलनी ही चाहिए और मुझे विश्वास है जरूर मिलेगी, जल्दी मिलेगी। मैं नहीं जानता कि जिस कार्यक्रम का वह अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समर्थन कर रही है, उसमें लगने वाले नारे उसने सुने या नहीं।

क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक वर्ग विशेष का हक है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेहादियों और नक्सलियों को महिमामंडित करने का काम बंद होना चाहिए।

हाल ही में रामजस कालेज का वीडियो भी मीडिया में आया है जिसमें जे.एन.यू. की तर्ज पर ही 'कश्मीर मांगे आजादी', 'बस्तर मांगे आजादी' के नारे लग रहे हैं। किससे आजादी चाहिए इन्हें, निश्चित ही भारत से। जिस कश्मीर को बचाने की खातिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों से लोहा लेते गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह शहीद हो गए, आज उस कश्मीर की आजादी के नारे लगाने वालों का समर्थन जाने–अनजाने वह कर रही है, इस बात से मन दुखी जरूर है।

हाल ही में महाराष्ट्र के एक सैनिक का युवाओं के एक कार्यक्रम में दिए भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। अपने दिल का दर्द बयान करते हुए यह सैनिक कह रहा है कि हम सीमा पर देश के लिए शहीद होने को तैयार रहते हैं पर दुख होता है जब जे.एन.यू. जैसे विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगते हैं और उससे भी ज्यादा दुख होता है जब लाखों लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। यह देश के हर सैनिक का दर्द है, आज कैप्टन मनदीप होते तो शायद उन्हें भी इसी दर्द को सहन करना पड़ता। गुरमेहर को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, बाकी निर्णय मैं उसकी समझदारी पर छोड़ता हूं।

अब देश के उस बुद्धिजीवी वर्ग की बात करते हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीट रहे हैं। उनसे मेरा सीधा सवाल है कि क्या यह आजादी सिर्फ देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए है? जावेद अख्तर जब देश का सम्मान बढ़ाने वाले योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट को अपनी राय देने के लिए अनपढ़ खिलाड़ी कहकर अपमानित करते हैं तो क्यों कोई आवाज नहीं उठती? माफ करें जावेद साहिब, देश के लिए मैडल जीतने वाले आप जैसे महानुभावों से कहीं ज्यादा सम्मान के हकदार हैं।

जब तस्लीमा नसरीन जैसी विश्वविख्यात लेखिका को धमकियां मिलती हैं, बोलने नहीं दिया जाता तो क्यों यह असहिष्णुता ब्रिगेड सड़कों पर नहीं निकलती? महिला सम्मान के लिए मगरमच्छी आंसू बहाने वाले ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकालते? दो दिन पहले ही इस विषय पर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में एक सैमीनार में बोलने हेतु जाने पर शाजिया इल्मी का बहिष्कार जब हुआ तो क्यों इनकी आवाज नहीं निकली?

क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक वर्ग विशेष का हक है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेहादियों और नक्सलियों को महिमामंडित करने का काम बंद होना चाहिए।

आखिर में 'छद्म आजादी ब्रिगेड' की बात करते हैं। उनको यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि 'भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह' के नारे लगाने की आजादी उन्हें न थी, न है और न मिलेगी। जब भी यह नारा देश के किसी भी कोने में लगेगा, उसका जवाब निश्चित मिलेगा। अब मुझे कोई असहिष्णु कहे या फासीवादी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं पुरजोर यह बात कहूंगा कि देश विरोधी इन्फैक्शन को विश्वविद्यालयों और कालेजों में नहीं फैलने दिया जा सकता। हमारे शैक्षिक संस्थान राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विषयों पर बहस करने के प्लेटफार्म बनने चाहिए, पर इन्हें देश विरोधी ताकतों के लिए समर्थन जुटाने का मंच नहीं बनने दिया जा सकता। शैक्षिक संस्थानों को इस जेहादी–नक्सली गठजोड़ से मुक्त करवाना ही होगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं, इनसे हमारा सहमत होना जरूरी नहीं)

बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी

इस वक्त जब किसान की आय दोगुनी करना आम जुमला बन गया है, तो नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और यहां तक कि कृषि से दूर का संबंध रखने वाला भी इस पर चर्चा कर रहा है। जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले किसानों की आय में 50 से 70 फीसदी कमी आई है।

मजे की बात है कि मैं जिन बहस व चर्चाओं में शामिल हुआ उनमें दलीलें अपरिहार्य रूप से उन्हीं सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं– फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई का विस्तार करना, फसल बीमा और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेटफॉर्म (ई–नाम) को मजबूत बनाना। भारत में सिर्फ 1.3 फीसदी आबादी वेतन पाती है, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है। इसके विपरीत 52 फीसदी से अधिक आबादी यानी मोटेतौर पर 60 करोड़ लोग कृषि पर आधारित हैं। इस क्षेत्र में काम करने वालों को भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी मिलती है।

उस हिसाब से न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मानवीय जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं– **एक**, आदर्श कार्यशील परिवार में कमाने वाले एक व्यक्ति पर तीन व्यक्तियों की निर्भरता। इसमें महिला, बच्चों व किशोरों की कमाई को ख्याल में नहीं लिया गया है। **दो**, मध्यम दर्जे की क्रियाशीलता वाले औसत वयस्क के लिए 2,700 कैलोरी कुल दैनिक आहार। **तीन**, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 18 यार्ड कपड़ा। चार लोगों के औसत खेतिहर परिवार के लिए 72 यार्ड कपड़े की जरूरत है। **चार**, सब्सिडी प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के तहत कम आमदनी वाले समूहों को उपलब्ध कराए जाने वाले न्यूनतम क्षेत्र के मुताबिक आवास किराया। **पांच**, ईंधन, रोशनी तथा अन्य मदों पर खर्च कुल न्यूनतम आय का 20 फीसदी।

बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1991 में जारी आदेश में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए छह मानदंड तय किए गए– बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा जरूरतें, त्यौहार, समारोह सहित न्यूनतम

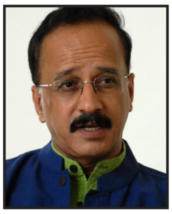

जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गईहै, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुष्चक्र में फंसता चला जा रहा है।

– देविंदर शर्मा

मनोरंजन, विवाह तथा वृद्धावस्था के लिए प्रावधान, जो मजदूरी का 20 फीसदी होना चाहिए। आदेश में महंगाई भत्ते को शामिल करने को भी कहा गया है।

दूसरे शब्दों में इन मानकों से सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी न्यूनतम मासिक आमदनी तय होती है। अजीब बात यह है कि इन्हीं मानकों पर अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और योजनाकारों को निश्चित आय होती है लेकिन, जब वे आमदनी दोगुनी करने की चर्चा में इनकी पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं तो दोहरे मानदंडों की गंध आती है। अपने वेतन को तो मानकों का संरक्षण देना, जबकि बहुसंख्यक आबादी को बाजार की दुश्वारियों के हवाले कर देना। छत्तीसगढ़ में बम्पर फसल के बावजूद हाल ही में टनों टमाटर सड़कों पर फेंकने वाले किसानों से पूछिए कि बाजार की तानाशाही का क्या मतलब होता है। कर्नाटक व उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के उन परिवारों से बाजार का मतलब पूछिए, जिन्होंने महीनों तक गन्ने की बकाया राशि के भुगतान का इंतजार करते हुए आखिरकार खुदकुशी की है।

प्राथमिकता तो घोर असमानता के मौजूदा स्तर से निपटने की है, जो आर्थिक नीति से और गंभीर हुई है और जिसका फसलों की उत्पादकता से कोई संबंध नहीं है। बरसों से मैं किसानों के लिए पृथक आमदनी आयोग की मांग कर रहा हूं ताकि वह किसानों को हर माह निश्चित आमदनी सुनिश्चित कर सके। यदि उत्पादकता खेती के संकट का कारण होती तो पंजाब के किसानों द्वारा बड़ी संख्या में खुदकुशी का कोई कारण नहीं है। प्रति हैक्टेयर 45 क्विंटल गेहूं और 60 क्विंटल चावल के साथ पंजाब वैश्विक चार्ट में शीर्ष पर है। 98 फीसदी सुनिश्चित सिंचाई के बावजूद शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब किसान वहां आत्महत्या नहीं करता।

इसलिए 1991 के सुप्रीम कोर्ट के मानकों और सम्मानजनक जीवन जीने के 1957 के मानकों को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और कृषि कार्यकर्ता दिसंबर में हैदराबाद में आयोजित वर्कशॉप में जुटे ताकि किसानों के लिए सुरक्षित आय का कोई मॉडल तैयार किया जा सके। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में केरल में एक और वर्कशॉप हुई, जिसमें दस अर्थशास्त्रियों और नीतिगत शोधकर्ताओं ने खेती करते समय किसान, जो इकोसिस्टम संरक्षण सेवाएं देता है, उसका भुगतान तय करने का प्रयास किया, जिसका किसान हकदार है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ग्रीन इकोनॉमी के संदर्भ में ईकोसिस्टम सेवाओं का आकलन अब वैश्विक चलन है।

किसान व कई नागरिक संगठन स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें किसान को लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने की सिफारिश है। इसमें यह ध्यान नहीं रखा गया है कि केवल 6 फीसदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फायदा मिलता है और शेष 94 फीसदी को सहायता देने का कोई तरीका नहीं है। एमएसपी निश्चित ही किसानों को सुनिश्चत आय देने का एक तरीका होगा, लेकिन हमें शेष किसानों को निश्चित आय देने का तरीका खोजना होगा। जब निचले स्तर के कर्मचारी के लिए 18 हजार रुपए की न्यूनतम मासिक आय और गैर–कृषि मजदूर के लिए 351 रुपए की न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की गई है तो अन्नदाता को कर्ज के दुश्चक्र में फंसाने वाली आय के साथ नहीं छोड़ा जा सकता।

हमारे अनुमानों के मुताबिक किसान सस्ता अनाज मुहैया कराने की बड़ी कीमत चुकाता है, जो प्रतिवर्ष 12 लाख करोड़ रुपए है। यदि किसान की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की सेवाएं ध्यान में लें उसे प्रति हैक्टेयर न्यूनतम 14 हजार रुपए का भुगतान जायज है। यह तो सीमित आकलन है और किसान की आय दोगुनी करने की चर्चा में इसे आधार बनाना चाहिए। समय आ गया है कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उत्पादकता, अनुबंध पर खेती और मार्केटिंग के निजीकरण के परे सोचना होगा। दुर्भाग्य से अर्थशास्त्रियों ने खेती में सार्वजनिक व निजी निवेश को आमदनी समझ लिया है। ❑❑

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से हिचकिचाहट क्यों?

जब आरक्षण की व्यवस्था पर संविधान सभा में बहस हो रही थी तो डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोपाल कष्ण गोखले की उस बात का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश कर्मचारी तंत्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण समाज कुंठित हो रहा है। इसलिए समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनकी क्षमताओं के उपयोग के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए।

– **आशीष रावत**

भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए अवसर की समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही है। जब आरक्षण की व्यवस्था पर संविधान सभा में बहस हो रही थी तो डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोपाल कृष्ण गोखले की उस बात का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश कर्मचारी तंत्र में भारतीयों का प्रतिनिधित्व न होने के कारण समाज कुंठित हो रहा है। इसलिए समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनकी क्षमताओं के उपयोग के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि जब डेढ़ सौ वर्ष पुरानी अंग्रेजी शासन–व्यवस्था में प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण भारतीय सवर्ण अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो भारत के दलित समाज की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दलितों को आरक्षण देने की मांग उठाई, ताकि उनका प्रतिनिधित्व हो सके और वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकें।

महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक 'मेरे सपनों का भारत' में लिखा है 'सरकारी महकमों में जहां तक कोटे की बात है, अगर हमने उसमें सांप्रदायिक भावना का समावेश किया तो यह एक अच्छी सरकार के लिए घातक होगा। मैं समझता हूं कि सक्षम प्रशासन के लिए, उसे आवश्यक रूप से हमेशा योग्य हाथों में होना चाहिए। निश्चित ही वहां भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पदों का वितरण हर समुदाय के सदस्यों के अनुपात में नहीं होना चाहिए। जो सरकारी सेवाओं में जवाबदेही के पदों को पाने की लालसा रखते हैं, वे इसके लिए जरूरी परीक्षा पास करने पर ही उन पर काबिज हो सकते हैं।' पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून, 1961 को मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा था कि 'हमें आरक्षण की पुरानी आदत और इस जाति या उस समूह को दी गई खास तरह की रियायतों से बाहर आने की आवश्यकता है। यह सच है कि अनुसूचित जाति–जनजाति को मदद करने के प्रसंग में हम कुछ नियम–कायदों और बाध्यताओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन इसके

बावजूद मैं किसी भी तरह के कोटे के खिलाफ हूं, खासकर सरकारी सेवाओं में। मैं किसी भी तरह की अक्षमता और दोयम दर्जेपन के सर्वथा विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर क्षेत्र में अव्वल देश बने। जिस घड़ी हम दोयम दर्जे को बढ़ावा देंगे, हम मोर्चा हार जाएंगे।' हालांकि भारतीय राजनीति में पिछड़ों के लिए दरवाजे खोलने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। उन्होंने 29 जनवरी, 1953 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसके पहले अध्यक्ष काका कालेलकर थे। उनकी अगुवाई में लगभग दो वर्ष के विचार मंथन के बाद आयोग ने 30 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट विचार के स्तर पर ही दम तोड़ गई। वह अंतर्विरोधों से भरी थी। उसके अनेक सदस्य उस पर असहमति दर्ज करा चुके थे। फिर 20 दिसम्बर, 1978 को मोरारजी देसाई ने संसद में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुआई में नए आयोग की घोषणा की। मंडल आयोग ने 12 दिसम्बर, 1980 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया। तब तक केंद्र में सत्ता बदल चुकी थी। अब इंदिरा गांधी सत्ता में थी। उनके मंत्रिमंडल में आयोग के प्रस्तावों को मूर्त रूप देने पर कई तरह के आग्रह–दुराग्रह थे। मंडल आयोग ने 11 प्रकार की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर जातियों को परखा था। गहन शोध के बाद आयोग ने पाया था कि देश में कुल 3,743 पिछड़ी जातियां हैं। वह भारतीय आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा था। इसके लिए 1931 की जनगणना को आधार बनाया गया था। मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की। अनुसूचित जाति–जनजाति को पहले ही 22.5 प्रतिशत आरक्षण हासिल था। यानी अगर यह सिफारिश मान ली जाती तो देश में लगभग 49.5 फीसद सरकारी नौकरियां आरक्षित वर्ग के कोटे में चली जानी थी। 13 अगस्त, 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की अधिसूचना जारी की। उसके बाद से आरक्षण का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। वर्तमान में राजनीतिक धुरंधरों ने आरक्षण की मूल भावना को बिसार कर प्रतिनिधित्व के बजाय मात्र सरकारी नौकरियों तक सीमित कर दिया। इसी आलोक में गुजरात के पटेल–पाटीदार समुदाय, राजस्थान के गुर्जर समुदाय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट समुदाय द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांग को देखना चाहिए। आरक्षण का अर्थ गरीबी उन्मूलन नहीं है। प्रतिनिधित्व और आर्थिक पिछड़ापन दो अलग बातें हैं। आर्थिक पिछड़ापन सभी जातियों में है, इसलिए सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बीपीएल जैसी योजना शुरू की गई, जिससे समाज की सभी जातियां, सभी पंथों के लोग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। लेकिन बीपीएल योजना का आधार मात्र आर्थिक होने के कारण उन्हें वह लाभ नहीं मिलता, जो आरक्षण से मिलता है। मसलन, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व का आधार समाज की जातियां हैं न कि आर्थिक पिछड़ापन। इसलिए प्रतिनिधित्व और आर्थिक पिछड़ेपन के बीच की महीन रेखा को समझना होगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए शर्त है कि उस खास वर्ग को साबित करना होगा कि वह अन्य वर्गों के मुकाबले सामाजिक–शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। 1993 के मंडल आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की बेंच ने कहा था कि जाति अपने आप में आरक्षण का आधार नहीं बन सकती। उसमें दिखाई देना चाहिए कि पूरी जाति शैक्षणिक–सामाजिक रूप से बाकियों से पिछड़ी है। अलग–अलग राज्यों में देखा गया है कि किसी समुदाय को एक राज्य में आरक्षण है, तो किसी अन्य राज्य या केंद्र में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया था कि राज्यों में आरक्षण के लिए अलग–अलग स्थिति हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि आमतौर पर 50 फीसद से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ हमें मेरिट का ख्याल रखना होगा तो दूसरी तरफ हमें सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखना होगा। अलग–अलग राज्यों में आरक्षण देने का तरीका अलग है। शुरू में सिर्फ एससी और एसटी को दस वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में भी पिछड़े वर्ग को 27 फीसद आरक्षण मिला। हालांकि पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।

राजनीतिक धुरंधरों ने आरक्षण की मूल भावना को बिसार कर प्रतिनिधित्व के बजाय मात्र सरकारी नौकरियों तक सीमित कर दिया।

देश में जाति–आधारित पार्टियों की संख्या और शक्ति में भी वृद्धि हुई है। भले ही दावा कुछ भी करें, लेकिन समाजवादी पार्टी यादवों और बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टियां बनकर

रह गई हैं। कुर्मी, मल्लाह और इसी तरह की अन्य जातियों की भी अपनी–अपनी छोटी–छोटी पार्टियां हैं। राजस्थान में गूर्जर कई बार लम्बे समय तक पिछड़ी जाति का दर्जा पाने के लिए उग्र और हिंसक आंदोलन चला चुके हैं। अब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जाट भी यही मांग उठा रहे हैं ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। राजनीतिक दल भी इन आंदोलनों की आंच पर अपनी रोटियां सेंकने से नहीं चूकते। वे कभी भी जनता को यह नहीं समझाते कि आरक्षण सामाजिक विकास का एकमात्र जरिया नहीं हो सकता। कांग्रेस के पीछे पिछड़ी जातियों का समर्थन नहीं है। सवर्ण भी उसे छोड़कर अन्य पार्टियों का रुख कर चुके हैं। आरक्षण के बारे में लोग बात तो करना चाहते हैं लेकिन क्या वे इसके व्यापक स्तर को बहस का मुद्दा बनाना चाहते हैं–शायद नहीं, क्योंकि किसी से भी बहस कर लें उनके आरक्षण का मुख्य मुद्दा हमेशा जातिगत आरक्षण के साथ चिपकी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे आरक्षण की मूल अवधारणा, जो बाबा साहब ने संविधान में रखी थी, उससे भलीभांति अवगत ही नहीं हैं और जब उसी का पालन आज तक नहीं हो पाया जिसकी वजह से आप और हम इस बहस को एक मुद्दे के तौर पर अपने मन मुताबिक उछालते रहते हैं। सन् 1932 में जब गोलमेज सम्मलेन में इस बात पर सहमति बनी कि आरक्षण होना चाहिए तो आखिर इसका आधार क्या होना चाहिए, तो वहां पर यह तय हुआ की समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से लोग समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं उनकी सूची तैयार की जाए और उस सूची के आधार पर समाज में इन लोगों के लिए कुछ प्रावधान रखा जाए ताकि इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके और बाद में इसी को आधार बनाकर संविधान में प्रावधान रखा गया और इस सूची को संविधान में नाम दिया गया–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बाद में इसी सूची में एक नई सूची शामिल की गई जिसको नाम दिया गया–अत्यंत पिछड़ा वर्ग।

2015 में संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत द्वारा दिए गए आरक्षण की समीक्षा वाले बयान पर उनकी निंदा तो हुई लेकिन उनका यह कथन कई मायनों में सही है लेकिन उनके इस बयान ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बहस को एकबार फिर प्रासंगिक कर दिया था। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते ही हमारे राजनीतिक दलों में खलबली मच जाती है? आरक्षण की समीक्षा न होने व उसके दायरों के निरंतर बढ़ते जाने का प्रमुख कारण यही है कि आज आरक्षण शासक वर्ग के लिए तुष्टिकरण की राजनीति का एक बड़ा औजार बन गया है। ऐसे कई दल हैं जिनके अस्तित्व का आधार ही आरक्षण के भरोसे है। आरक्षण के वादे के दम पर तमाम दलों द्वारा अनुसूचित जातियों–जनजातियों को अपनी तरफ करने का सफल प्रयास किया जाता रहा है। इन सब बातों को देखते हुए अब ये समझना बेहद आसान है कि इस तुष्टिकरण की राजनीति के ही कारण सभी राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित आरक्षण की वकालत और आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया जाता है। अन्यथा जाति आधारित व आर्थिक आधार पर आरक्षण के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाए तो वो न सिर्फ समानता के साथ अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि वर्तमान आरक्षण की तरह तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इस्तेमाल होने से भी बचेगा। ये सही है कि समाज की कथित निम्न जातियों के काफी लोग आज भी अक्षम और विपन्न होकर जीने को मजबूर हैं। लेकिन इन जातियों–जनजातियों में अब ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर रूप से सशक्त हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आरक्षण का सर्वाधिक लाभ मिला है और वो सक्षम और सम्पन्न हो चुके हैं। लेकिन बावजूद इस सम्पन्नता के जाति आधारित आरक्षण के कारण बदस्तूर उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलता जा रहा है। सरकार को भी चाहिए कि वो सिर्फ आरक्षण देकर अपने जिम्मेदारी की इतिश्री न समझे बल्कि इस बात का भी अध्ययन करे कि आरक्षण का लाभ सही मायने में जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिल भी रहा है या नहीं। अगर इन बातों पर सरकार सही ढंग से ध्यान देती है तो ही हम आरक्षण के उस उद्देश्य को पाने की तरफ अग्रसर हो सकेंगे, जिसके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अन्यथा तो आरक्षण एक अंतहीन प्रक्रिया की तरह जारी रहेगा जिसका कोई उद्देश्य नही होगा। यहां पर प्रश्न यह उठता होता है कि यदि सरकार वास्तव में गरीब वर्गों की भलाई चाहती है तो उसे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से हिचकिचाहट क्यों है? देशहित में यह जरूरी है कि आरक्षण की वर्तमान नीति पर नए सिरे से विचार किया जाए। उन वर्गों को आरक्षण से वंचित किया जाए जोकि दशकों से इसका लाभ उठा रहे हैं। उनकी बजाय आरक्षण का लाभ उन वर्गों को दिया जाए जिनका संबंध किसी भी जाति और सम्प्रदाय से हो लेकिन गरीब हो। मगर ये कदम उठाना किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल है क्योंकि कोई भी पार्टी उन वर्गों से आरक्षण को छिनने का खतरा मोल नहीं लेगी जोकि उसके वोट बैंक हैं। ❑❑

"वर्तमान शिक्षा में समाहित हो–उद्यमिता विकास"

किसी भी देश की समृद्धि आर्थिक विकास एवं उद्यमिता के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। शिक्षा ही मानव शक्ति को रोजगार एवं उद्यमितापूर्ण बनाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय शिक्षा के सामर्थ्य का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। तकनीकी शिक्षा द्वारा जीवन की गति को तेज किया जा सकता है। भारत की व्यवसायिक व औद्योगिक आवश्यकताएं यहां के सामाजिक परिवेश के अनुसार निर्धारित होती है। इन आवश्यकताओं के अनुरूप ही वर्तमान शिक्षा में उद्यमिता विकास को समाहित करने की आवश्यकता है।

भारत जैसे विकासशील देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या को साक्षरता के साथ–साथ कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास जैसी आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में नगरों की संख्या एवं नगरीय जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सन् 1951 में कुल जनसंख्या के अनुपात में 83 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या एवं 17 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में 68.84 प्रतिशत ग्रामीण जनंसख्या एवं 31.16 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या हो गई है। रोजगार प्राप्ति एवं बेहतर जीवनयापन की संभावनाओं को तलाशते ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है। नगरीय जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि से नगरों में कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएं जन्म ले रही हैं।

रोजगार प्राप्ति एवं बेहतर जीवनयापन की संभावनाओं को तलाशते ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है। नगरीय जनसंख्या की अनियंत्रित वद्धि से नगरों में कई प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएं जन्म ले रही हैं।

– डॉ. रेखा भट्ट

आर्थिक विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ बड़े उद्योगों को ही मिल पा रहा है। यदि पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों को भी इन योजनाओं का लाभ मिले तो शिक्षा में निवेश को बढ़ाया जा सकता है। कृषि, व्यवसाय एवं प्रबंधन विषयों में स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र, प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र खोले जा सकते है। शिक्षण संस्थानों व उद्योगों के माध्यम

से बाजार मांग के अनुसार स्थानीय उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने में आपसी सहयोग स्थापित किया जा सकता है। बुनियादी शिक्षण के साथ ही डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, जैविक कृषि आदि क्षेत्रों में उचित प्रशिक्षण द्वारा उद्यमिता व स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे आर्थिक उन्नति के साथ–साथ तकनीकी विकास भी संभव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि एवं इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, यातायात आदि के अभाव को दूर किया जा सकेगा।

आज महानगरों से प्रतिभावान बेरोजगार, विद्यार्थी, कुशल पेशेवर श्रमिक एवं कारीगर बड़ी संख्या में अच्छे रोजगार और उच्च वेतनमान की तलाश में विकसित देशों की ओर पलायन कर रहे है। भारतीय संस्थानों द्वारा भारी राशि खर्च कर तैयार किए गए दक्ष कार्मिक विदेशी कंपनियों के आर्थिक विकास को बढ़ा रहे है। इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई सीधा लाभ नही मिल पा रहा है। युवा प्रतिभा के पलायन के कारण आने वाले समय, (वर्ष 2020) में, जब देश की युवा आबादी 86.9 करोड़ हो जायेगी, तब विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश भारत में युवा कार्यशील समूह उपलब्ध नही हो सकेगें। निजी व सार्वजनिक प्रकार के सभी शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी, उद्यमिता विकास में सक्षम नही हो पाते अतः रोजगार की पात्रता भी अर्जित नही कर सकते है।

परंपरागत पाठ्यक्रम शिक्षण से आज विद्यार्थीयों में ऑनलाईन शिक्षा का रूझान बढ़ रहा है। भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा प्रणाली व ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थी को सीखने व समझ विकसित करने की कोई योजना प्रदान नही करती है। इस कारण अधिकांश युवा आभासी कक्षाओं में विषयों को ज्यादा अच्छी तरह सीख व समझ सकते है। तकनीकी व मशीनरी के कारण अकुशल श्रमिकों के क्षेत्र में रोजगार घटते जा रहे है। वहीं कृत्रिम बुद्धिमता द्वारा अत्यधिक कौशल की मांग वाले क्षेत्रों में भी रोजगार समाप्त होते जा रहे है। भारतीय सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को व्यवहारिक बनाना होगा तथा शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देकर ही युवा प्रतिभाओं के पलायन को रोका जा सकेगा।

तकनीकी व मशीनरी के कारण अकुशल श्रमिकों के क्षेत्र में रोजगार घटते जा रहे है।

भारत में अन्य देशों की अपेक्षा स्थानीय उत्पादन क्षेत्र मजबूत है किन्तु उत्पादन तथा उत्पादों की मांग में कमी होने के कारण निर्माण से जुड़े स्थानीय उद्योग विकसित नही हो पाते। पश्चिमी अर्थव्यवस्था के अनुसरण के प्रयास में भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटों से जूझ रही है। उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम पर लाखों बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय परंपरागत उद्यमों को नष्ट करने व आर्थिक विकास को रोकने के प्रयास निरंतर हो रहे है। इसमें मुक्त व्यापार समझौते के तहत चीन व अन्य विदेशी वस्तुओं का आयात 79 प्रतिशत बढ़ गया। जिन उत्पादों को भारत वर्षों से निर्यात करने में सक्षम रहा है, उन्ही उपक्रमों में विदेशी निवेश बढ़ाने से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है। देश में जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) का 3.3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जो देश की कुल आबादी के अनुपात में बहुत कम है। स्थानीय स्तर पर शिक्षण द्वारा युवाओं की उद्यमशीलता बढ़ाकर तथा स्थानीय उद्यमियों द्वारा पूंजी निवेश करके स्थानीय उद्योगों का विकास हो सकेगा।

शिक्षित युवाओं में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों की खोज व स्थानीय लाभ के लिए उत्पादों को प्रयोग में लाने की क्षमता द्वारा व्यवसायिकता विकसित होगी और उनकी प्रबंधन की क्षमता का समुचित उपयोग होगा। स्थानीय ज्ञान व अनुभव के साथ प्राकृतिक संसाधनों व कुशल स्थानीय श्रम शक्ति सम्मिलित रूप से युवा उद्यमिता विकास में सहायक होंगे।

आधुनिक शिक्षण पद्धति में सुधार करते हुए पाठ्यक्रमों में उद्यमिता कार्यशालाओं को सम्मिलित करने से सभी क्षेत्रों में उद्यमिता का वातावरण निर्मित होगा। वर्षों पुरानी पुस्तकीय शिक्षण पर आधारित मैकॉले पद्धति से अलग हटकर क्रियात्मक शिक्षण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने से भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आर्थिक विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। ब्रिटिश शासनकाल से पहले भारत के 34 प्रतिशत सकल उत्पाद एवं व्यापार के वैश्विक योगदान को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। वर्तमान शिक्षा में उद्यमिता विकास को समाहित करने से ही भारत अपने वैभव और समृद्धि को प्राप्त कर विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर स्थापित होगा। ❑❑

लेखिका राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में रसायन शास्त्र की व्याख्याता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की सीमा

विकसित देशों में नगद लेनदेन जीवित तथा सुदृढ़ है तथा छोटी रकम के लेनदेन के लिये लोग नगद को ही पसंद करते हैं। यदि विकसित देशों में लगभग आधे लेनदेन नगद में किये जा रहे हैं तो भारत में इससे ज्यादा ही होंगे, चूंकि अपने देश में नगद कारोबार से टैक्स की बचत होती है।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

हमारी अर्थव्यवस्था को सरकार शीघ्रातिशीघ्र डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहती है। नगद लेनदेन पर टैक्स आरोपित करने की योजना है। सरकार की सोच है कि नगद लेनदेन कम होने से समानांतर यानि ब्लैक इकानमी पर बंदिश लगेगी। परंतु तमाम विकसित देश डिजिटल इकानमी को कई शतक पूर्व अपना चुके हैं। वहां भी नगद का उपयोग ब्लैक इकानमी में जारी है। बैंक आफ इंग्लैण्ड की 2015 की क्वार्टरली रिव्यू में छपे एक पर्चे में कहा गया है कि बैंक द्वारा छापे गये नोट में से आधे ही लेनदेन के लिये उपयोग किये जाते हैं। शेष या तो विदेशों में हैं अथवा शैडो (यानि काली) इकानमी द्वारा उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि विकसित देशों में काले धन के संग्रह एवं लेनदेन के लिये नगद का उपयोग जारी रहता है। संभव है कि छोटे दुकानदारों द्वारा कच्चे पर्चे पर बिक्री करने में कुछ कमी आए। परंतु मुझे इसमें भी संदेह है। कच्चे पर्चे में खरीद करने में टैक्स की भारी बचत होती है। इस बचत को हासिल करने को व्यापारी नगद कारोबार को जारी रखेंगे। इस संभावना के फलीभूत होने का संकेत भी इंग्लैण्ड से मिलता है।

पेमेंट.काम द्वारा बनाये गये ग्लोबल कैश इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2014 में इंग्लैण्ड के उपभोक्ताओं द्वारा 48 प्रतिशत लेनदेन नगद में किये गये। 24 प्रतिशत डेबिड कार्ड द्वारा किये गये। शेष आनलाइन अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से किये गये। इस अध्ययन से पता चलता है कि विकसित देशों में नगद लेनदेन जीवित तथा सुदृढ़ है तथा छोटी रकम के लेनदेन के लिये लोग नगद को ही पसंद करते हैं। यदि विकसित देशों में लगभग आधे लेनदेन नगद में किये जा रहे हैं तो भारत में इससे ज्यादा ही होंगे, चूंकि अपने देश में नगद कारोबार से टैक्स की बचत होती है।

टैक्स की चोरी को छोड़ दें तो भी लोगों द्वारा नगद लेनदेन कम ही किये जाते है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कराये गये दूसरे अध्ययन में नगद के पसंद किये जाने का पहला कारण बताया गया है कि यह सस्ता पड़ता है। बैंक को डेबिट कार्ड जारी करने के लिये वार्षिक फीस नहीं देना होता है। दूसरा कारण कि छोटी रकम के लेनदेन को नगद में करना आसन होता है। तीसरा कारण कि नगद के लेनदेन से लोगों के लिये अपने बजट को मैनेज करना आसान रहता है। पर्स में देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि अभी और कितनी गुंजाइश है। डिजिटल इकानमी में अपने बजट को मैनेज करने के लिये अलग से रिकार्ड रखना होगा कि कब कितना पेमेंट किया है और आगे कितना किया जा सकता है।

यही बात अपने देश में भी लागू होती है। आम आदमी द्वारा किये गये छोटे–छोटे लेनदेन को नगद में करना सस्ता पड़ता है। डिजिटल पेमेंट में तीन छुपे हुये खर्च होते हैं। उपभोक्ता को मोबाइल फोन खरीदना होता है। फोन का उपयोग बात करने के लिये किया जाये तो भी खर्च का एक अंश डिजिटल पेमेंट के लिये किया गया माना जायेगा। दूसरा खर्च पेमेंट पोर्टल के पास जमा कराई गयी रकम पर ब्याज के नुकसान का है। आप पोर्टल के पास 5,000 रु. जमा कराते हैं जिससे आप जरूरत पर पेमेंट कर सकें। इस रकम पर पोर्टल द्वारा ब्याज कमाया जाता है। यदि यह रकम आपके बैंक खाते में रहती तो ब्याज आपको मिलता। तीसरा खर्च आपके समय का होता है। डिजिटल पेमेंट में सामने वाले से पूछकर उसका नंबर अपने मोबाइल में डालना होता है। पेमेंट करने के बाद रुककर दुकानदार से पूछना होता है कि उसके खाते में रकम पहुंची या नहीं। ग्राहक तथा दुकानदार दोनों का समय इसमें जाया होता है। कभी–कभी गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाये तो मुसीबत होती है। मेरे गणित के अनुसार एक सामान्य उपभोक्ता द्वारा साल में 1 लाख का पेमेंट करने में इन मदों पर कुल 500 रु. का खर्च वहन किया जायेगा। अतः छोटे उपभोक्ता के लिये डिजिटल पेमेंट हानिप्रद है। लेकिन रिजर्व बैंक को नगदी नोट उपलब्ध कराने की बचत हो जाती है। इसी 1 लाख के लेनदेन को नोट उपलब्ध कराने का खर्च रिजर्व बैंक को वहन करना होगा। मेरे गणित के अनुसार इन नगदी नोट उपलब्ध कराने का खर्च 3 रुपये आता है। अतः छोटी रकम के लेन देन करने में डिजिटल पेमेंट में सामान्य उपभोक्ता को 500 रु. का नुकसान और रिजर्व बैंक को 3 रु. का लाभ होता है। अर्थव्यवस्था को 497 रु. का नुकसान होता है।

छोटी रकम के लेन देन करने में डिजिटल पेमेंट में सामान्य उपभोक्ता को 500 रु. का नुकसान और रिजर्व बैंक को 3 रु. का लाभ होता है। अर्थव्यवस्था को 497 रु. का नुकसान होता है।

बड़े कारोबारी द्वारा डिजिटल पेमेंट करने में परिस्थिति बदल जाती है। इनके द्वारा 10 करोड़ रु. का डिजिटल पेमेंट किया जाये तो भी मोबाइल आदि का खर्च 500 रु. ही आयेगा चूंकि डिजिटल पेमेंट में 10 रु. अथवा 10 करोड़ रु. ट्रांसफर करने में खर्च बराबर आता है। लेकिन 10 करोड़ के नगदी नोट उपलब्ध कराने में रिजर्व बैंक को 3,000 रु. का खर्च वहन करना होगा चूंकि इस लेनदेन के लिये ज्यादा संख्या में नोट उपलब्ध कराने होंगे। अतः डिजिटल पेमेंट से बड़े कारोबारी को 500 रु. का नुकसान और रिजर्व बैंक को 3,000 रु. का लाभ होगा। अर्थव्यवस्था को 2,500 रु. का लाभ होगा।

लेनदेन के डिजिटल होने से यदि टैक्स की वसूली बढ़ गयी तो यह हानि कुछ कम हो जायेगी। वर्तमान में यह एक खुला प्रश्न है कि डिजिटल इकानमी से टैक्स वसूली बढ़ेगी या नहीं। कहावत है कि ताले शरीफों के लिये लगाये जाते है। चोर तो ताले को खोलना जानता ही है। इसी प्रकार कच्चे पर्चे कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिये डिजिटल इकानमी के प्रभावी होने में मुझे संशय है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल पेमेंट छोटे रकम के लिये हानिप्रद और बड़ी रकम के लिये लाभप्रद है। यही कारण है कि इंग्लैण्ड में सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा 48 प्रतिशत लेनदेन नगद में किया जा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में हम डिजिटल इकानमी की उपयुक्तता को समझ सकते हैं। बड़े तथा सफेद धन के लेनदेन के लिये डिजिटल इकानमी उपयुक्त है जैसा कि ऊपर बड़े कारोबारी के संबंध में बताया गया है। छोटे लेनदेन के लिये डिजिटल इकानमी हानिप्रद है। डिजिटल लेनदेन अपनाने के बावजूद काले धन के लिये नगद का उपयोग जारी रहता है। अतः सामान्य लेनदेन के लिये हम डिजिटल इकानमी अपनाकर अपने को गड्ढ़े में डालेंगे। एक लाख का जो लेनदेन मात्र 3 रु. में किया जा सकता है, उसे संपन्न करने के लिये हम 500 रु. खर्च करेंगे। काले धंधे के लिये नगद का उपयोग भी जारी रहेगा। भविष्य में विद्वान उपभोक्ता को अपने विवेक से समझ आ जायेगा कि छोटी रकम के लिये डिजिटल लेनदेन उसके लिये घाटे का सौदा है और डिजिटल इकानमी स्वतः सिमट जायेगी। ❑❑

पशुधन विविधता पर मंडराता संकट

पोंगल त्यौहार के अभिन्न अंग 'जलकट्टू खेल' को लेकर जितना विवाद हुआ उसका सौंवा हिस्सा भी लुप्त होती पशुओं की देसी किस्मों के संरक्षण–संवर्द्धन को लेकर नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि चुनिंदा प्रजाति के पशुओं का तीव्र विकास पशुधन विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए संकट बनकर उभरा है। विश्व भर में दूध, मांस और अंडों की तेजी से बढ़ती मांग ने इन उच्च उत्पादिकता वाले पशुओं पर निर्भरता बढ़ा दी है। प्रयोगशाला निर्मित यह तकनीक तेजी से दुनिया भर में फैल रही है, जिससे समस्या दोहरी हो गई है। इसे देखते हुए जलकट्टू त्यौहार का महत्व और बढ़ जाता है। गौरतलब है कि जलीकट्टू के जरिए तमिलनाडु के किसान अपनी और अपने सांढ़ का प्रदर्शन करते हैं। इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि उनका सांढ़ कितना मजबूत है और ब्रीडिंग के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इसे देखते हुए जलीकट्टू का महत्व अपने आप प्रमाणित हो जाता है।

इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि एक ओर पशुधन की विविधता खत्म हो रही है तो दूसरी ओर नई प्रजातियों की खोज का काम ठप पड़ गया है। टिकाऊ विकास, करोड़ों लोगों की आजीविका और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए पशुधन विविधता का प्रबंधन अतिआवश्यक है। कम उत्पादकता वाली स्थानीय प्रजातियों में कई ऐसे गुण होते हैं जो उन्नत नस्लों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे बीमारियों से प्रतिरोध, जलवायु की अतिशय दशाओं की सहनीयता। ये विशेषताएं भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन, पशुओं की बीमारियों और विशेषकृत पशु उत्पाद हासिल करने की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी।

प्रकृति के उतार–चढ़ाव के अनुसार ढली पशुओं की स्थानीय प्रजातियां पिछले दस

जलीकट्टू के जरिए तमिलनाडु के किसान अपनी और अपने सांढ़ का प्रदर्शन करते हैं। इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि उनका सांढ़ कितना मजबूत है और ब्रीडिंग के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इसे देखते हुए जलीकट्टू का महत्व अपने आप प्रमाणित हो जाता है।

– **रमेश दुबे**

हजार वर्षों से कृषि उत्पादन तंत्र का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। ये प्रजातियां ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आजीविका सुरक्षा देती हैं जहां कृषि कार्य कठिन हैं। लेकिन बीसवीं शताब्दी के मध्य से कुछेक ऊंची उत्पादकता वाली प्रजातियां दुनिया भर में छाने लगी। इनमें यूरोपीय उत्पत्ति के पशु मुख्य हैं, जैसे होलस्टीनि फ्रीजियन या जर्सी नस्ल की गाय। संकीर्ण उत्पत्ति आधार वाली ये प्रजातियां उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पूरी तरह फैल चुकी हैं और अब विकासशील देशों को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विकासशील देशों की स्थानीय प्रजातियां कम लाभकारी हैं इसलिए उनके स्थापन पर उच्च उत्पादकता वाली यूरोपीय प्रजातियों को अपनाया जाए। इसी का नतीजा है कि 21वीं सदी में विकासशील देश पशुओं की विविधता नष्ट होने के मुख्य केंद्र बनकर उभरे हैं। उदाहरण के लिए वियतनाम में 1994 में कुल सुअरों में 72 प्रतिशत स्थानीय प्रजाति की थी, जो 2012 में 20 प्रतिशत ही रह गईं। कीनिया में विदेशी मूल की डारपर बकरियों के आगमन से लाल मसाई बकरियां सदा के लिए विलुप्त हो गईं। भारत में भी यह आम धारणा है कि देसी गायों की उत्पादकता बहुत कम है। इसलिए दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि विदेशी नस्लों के साथ घरेलू नस्ल का क्रॉस करा दिया जाए। पिछले कई वर्षों से हम ऐसा कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि संकर नस्ल की गायें तेजी से देशी गायों की जगह लेती जा रही हैं।

देशी गायों के अस्तित्व पर मंडराते संकट के बीच जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने एक सार्थक पहल की है। फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के वर्धा और राजस्थान के सीकर में 300 गांवों में देशी गायों के संरक्षण की एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत गरीब परिवारों को दुग्ध पालन के लिए देशी नस्ल की गायें मुहैया कराई जाती हैं। यह परियोजना उन इलाकों में भी फैली है जहां पर बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड चीनी मिल चलाती है। इसका कारण है कि गन्ने की फसल को देशी गायों के गोबर से अत्यधिक फायदा होता है। फिर देशी नस्ल की गायों को जैविक खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। वर्धा के किसान इस प्रकार की खेती के जरिए प्रति एकड़ 7 लाख रूपये तक की आय अर्जित कर रहे हैं।

देशी गायों को कम उत्पादकता वाली बताना भी सच को झुठलाने के बराबर है। सच्चाई यह है कि देशी पशुओं में ही वह क्षमता है जिससे देश में दूध की नदियां बहें। करीब छह साल पहले ब्राजील में हुई दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में पहले तीन स्थान भारतीय मूल की गायों ने जीता। शुद्ध गिर प्रजाति की गाय ने एक दिन में 48 लीटर दूध देकर पहला स्थान हासिल किया तो दूसरा स्थान भी गिर प्रजाति की ही गाय को मिला जिसने एक दिन में 45 लीटर दूध दिया। अंगोल प्रजाति (आंध्र प्रदेश के नेल्लोर क्षेत्र में पाई जाने वाली) की गाय को तीसरा स्थान मिला, जिसने 43 लीटर दूध दिया। ऊपर से देखने पर यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है लेकिन सच्चाई यह है कि तीनों खिताब ब्राजील के हाथ लगे।

देशी पशुओं में ही वह क्षमता है जिससे देश में दूध की नदियां बहें। ब्राजील में हुई दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में पहले तीन स्थान भारतीय मूल की गायों ने जीता।

दरअसल वर्षों पहले ब्राजील ने मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत से स्थानीय प्रजाति की गायों का आयात किया था। लेकिन जब ब्राजील ने इन गायों की दूध देने की क्षमता देखी तो उसका इरादा बदल गया और उसने इनका विकास दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए करना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम हैं कि आज ब्राजील भारतीय प्रजाति की गायों का सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। दूसरी ओर भारत में दुग्ध उत्पाादन बढ़ाने के लिए विदेशी प्रजाति का सहारा लिया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि दूध उत्पादन में अव्वल रहने के साथ–साथ भारतीय प्रजातियां घरेलू स्थितियों के सर्वथा अनुकूल होती हैं। वे प्रचण्ड गर्मी का भी सामना कर लेती हैं और कम पानी में भी अपना काम चला लेती हैं। वे लंबी दूरी तय करने में सक्षम होने के साथ–साथ मौसमी बीमारियों से भी अपना बचाव कर लेती हैं।

यह ठीक है कि देश में उपेक्षित पड़ी घरेलू नस्लों के औसत दूध उत्पादन (900 लीटर) की तुलना में क्रास ब्रीडिंग के जरिए पैदा की गई जर्सी प्रजाति की गाय एक ब्यान (दूध मौसम) में 2,500 लीटर दूध देती हैं लेकिन गिर प्रजाति की गाय 5,500 लीटर औसत दूध उत्पादन के साथ जर्सी प्रजाति से बहुत आगे है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ब्राजील भारतीय प्रजाति की गायों को उन्नत कर दूध की नदियां बहा रहा है तो भारत क्यों विदेशों का मुंह ताक रहा है? अतः जरूरत इस बात की है कि घरेलू प्रजातियों को अनुत्पादिक मानने और इनसे जुड़े पर्वों–त्यौहारों का विरोध छोड़कर उन्हें उन्नत बनाने का काम किया जाए ताकि देश में फिर से असली दूध (आज की तरह नकली दूध नहीं) की नदियां बहें। ❑❑

भारत भक्त भगिनी निवेदिता

(सार्धशती वर्ष पर विशेष)

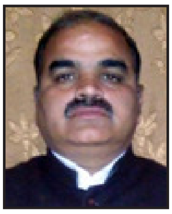

निवेदिता का अर्थ है पूर्ण समर्पिता और उन्होंने अपने नाम और हिन्दू गुरू–शिष्य परंपरा के अनुरूप अपने श्रम के फल को अपने गुरू तथा परमगुरू के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपना उल्लेख 'रामकष्ण–विवेकानन्द की निवेदिता' किया करती थी।

– डॉ. राजीव कुमार

युवती मेरी नोबल अपनी प्रथम संतान के जन्म से पहले बहुत ही व्याकुलता अनुभव कर रही थी। सभी धार्मिक महिलाओं के समान उसने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उसके बच्चे का जन्म सुरक्षित रूप से हो जाये तो वह अपने बच्चे को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देगी और उसकी वह प्रतिज्ञा 28 अक्टूबर, 1867 को पूर्णरूप से सफल हुई। उस बच्ची मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल ने अपना संपूर्ण जीवन एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया तथा अपने गुरू द्वारा दिये गये नाम– 'निवेदिता' को पूर्णतः सार्थक कर दिया। निवेदिता का अर्थ है पूर्ण समर्पिता और उन्होंने अपने नाम और हिन्दू गुरू–शिष्य परंपरा के अनुरूप अपने श्रम के फल को अपने गुरू तथा परमगुरू के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपना उल्लेख 'रामकृष्ण–विवेकानन्द की निवेदिता' किया करती थी।

मार्गरेट नोबल 1895 में स्वामी विवेकानन्द से मिली, जब स्वामी विवेकानन्द जी अमेरिका से लौटते समय लंदन में 3 महीने के प्रवास पर थे। मार्गरेट उनसे अपने एक महिला मित्र के निवास पर मिली जहां वे उपस्थित व्यक्तियों को 'वेदांत दर्शन' समझा रहे थे। वह स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद उनके अनेक व्याख्यानों को सुनने जाती और उनसे अनेक प्रश्न पूछती।

स्वामी विवेकानन्द के आग्रह पर मार्गरेट अपने परिवार और मित्रों को छोड़कर 28 जनवरी 1898 को कोलकत्ता पहुंची और भारत की सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, लोग, साहित्य और इतिहास से परिचित हुई। 25 मार्च 1898 को मार्गरेट ने स्वामी विवेकानन्द की देख–रेख में 'ब्रह्मचर्य' अंगीकार किया। वे अक्सर स्वामी विवेकानन्द को राजा कहती और अपने आप को उनकी आध्यात्मिक पुत्री!

स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका

श्री गोखले के निमंत्रण पर निवेदिता कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित थी। 25 दिसंबर, 1905 को वे बनारस पहुंची तथा तिलभाण्डेश्वर के एक घर में इस अधिवेशन के दौरान रही। उन्होंने अधिवेशन की कार्यवाहियों में तो भाग नहीं लिया, परंतु प्रत्येक बैठक में वे उपस्थित रही। बैठकों की कार्यवाहियों को रूचिपूर्वक निरीक्षण किया तथा चर्चाओं को ध्यानपूर्वक सुना। निवेदिता गरम दल की विचारधारा की समर्थक थी पर उनकी विचारधारा पूर्णतः मौलिक तथा राष्ट्रवादी थी। नरमदल की विचारधारा उन्हें पसंद नहीं थी इसी कारण निवेदिता को कुछ चरित्र लेखकों ने गरम दल की कार्यवाहियों में लिप्त बताया तथा कुछ ने इन्हें इस दल का नेता बताया।

श्री गिरिजाशंकर रे ने अपने ग्रंथ में लिखा कि ''निवेदिता के विचार सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे, वरन् स्वामी विवेकानन्द के संपर्क में आने से पहले वे अत्यंत भयंकर अराजकतावादी थी। ऐसा सुना गया है कि वे एकदम निकृष्ट माने गये शून्यवाद की समर्थक भी थी। शायद स्वामी जी के निधन के पश्चात उन्होंने अपना पूर्णस्वरूप अपना लिया हो। उनके लिए क्रांतिकारी बनना कोई नवीन बात नहीं है।''

भगिनी निवेदिता और स्वदेशी आंदोलन

सन् 1905 में लार्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की कार्यवाही से भारतीय निराश हो चुके थे तथा वे किसी भी तरह अपना विरोध व्यक्त करने के लिए आतुर हो रहे थे। राष्ट्रीय भावनाओं के सजीव स्वरूप के रूप में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ इसी समय हो चुका था तथा सफलता हासिल कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब था, विदेशी सामान का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन। स्वदेशी आंदोलन की सफलता को देखकर निवेदिता को प्रसन्नता हुई। 20 सितंबर, 1905 को उसने गोपाल कृष्ण गोखले को लिखा–'बहिष्कार आंदोलन को बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है यहां तक औरतें और साधु संत भी इसमें योगदान दे रहे है। जिन–जिन चीजों को इस आंदोलन के तहत अग्नि में समर्पित किया जा रहा है उनकी संख्या असाधारण असीमित है।'

सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से निवेदिता ने बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया।

सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से निवेदिता ने बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। अपने खुद के उपयोग के लिए भी उसने विदेशी सामान का बहिष्कार कर यथासंभव स्वदेशी माल का उपयोग शुरू कर दिया। अपने कई भाषणों तथा लेखों में उसने उत्साह के साथ स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन देना शुरू किया। निवेदिता लिखती हैं– ''स्वावलंबन तथा वीरता का संदेश हमें स्वदेशी आंदोलन से मिलता है। हमें किसी से मदद की भीख नहीं मांगनी है और न ही रियायतों के लिए सरकार की चापलूसी करनी है। एक दिन ऐसा आयेगा, जब वह व्यक्ति जो अपने देश में तैयार होने वाले माल को विदेशियों से खरीदता हो, उतना ही पापी माना जायेगा जितना गाय का हत्यारा।''

सेवा को समर्पित

''सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, स्त्रियों की उन्नति एवं उनकी स्थिति में सुधार। स्त्रियों को शिक्षित करना, समाज में बराबर का स्थान दिलाना एवं सामर्थ्यवान बनाना।'' स्वामी जी के उपरोक्त वचनों को बृहम वाक्य मानकर निवेदिता ने रामकृष्ण मिशन से जुड़कर विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए शिक्षा, छोटे–छोटे कुटीर उधोगो के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अनेक प्रकल्पों की स्थापना की एवं अपना संपूर्ण जीवन सेवा कार्यों में लगा दिया।

उच्च कोटि की लेखिका

अपनी पुस्तकों तथा लेखन के माध्यम से निवेदिता हजारों वाचकों की परिचित थी। उनका लेखन–कौशल, विभिन्न विषयों के सरल प्रस्तुतीकरण में मदद करता। उनके सब लेखों में परिपक्वता, मौलिकता एवं सरलता है। उन्होंने चरित्रात्मक, बोधात्मक तथा कथनात्मक तीनों प्रकारों की पुस्तकें एवं लेख लिखे। उनके कुछ प्रमुख ग्रंथों में, 'दी मास्टर ऐज आई सॉ हिम', 'नोट्स ऑफ सम वाण्डरिंग विद स्वामी विवेकानन्द' तथा 'केदारनाथ एण्ड बद्रीनाथः ए पिलग्रीम्स डायरी', काली दी मदर, दी वेब ऑफ इण्डियन लाईक, ॲग्रेसिव्ह हिन्दुइज्म, रिलीजन एण्ड धर्म है।

रविन्द्र नाथ टैगोर ने निवेदिता के संबंध में कहा–''निवेदिता ने जो हमें जीवन दिया, वह बहुमूल्य है उन्होंने अपने सर्वस्व का दान इस देश के लिए किया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। जीवन का प्रत्येक क्षण उन्होंने हमें दिया, जो कुछ भी श्रेष्ठतम उनके पास था, जो कुछ उत्तमोत्तम उनके पास था, वह सब उन्होंने हमें दिया और इसके लिए जितनी तपस्या, जितनी व्रतस्यता की, किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते है, उतनी उन्होंने स्वीकार की। उन्होंने अभाव में जीवन बिताया पर देश में लिए ही कार्य करती रही।''

13 अक्टूबर, 1911 को दार्जिलिंग में भगिनी निवेदिता ने अपने प्राण त्यागे। जिस स्थान पर निवेदिता का अंतिम संस्कार किया गया उस समाधि स्थल पर खुदा शिलालेख घोषणा करता है– ''जिसने अपना सर्वस्व भारत को समर्पित किया, वह भगिनी निवेदिता यहां चिरविश्राम कर रही है।'' ❑❑

रात्रिचर्या एवं निद्रा का महत्व

सायःकाल से पूर्व लघु, हितकारी भोजन करके, शांतचित्त और शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करके तथा अपने दिन भर किए गए समस्त कार्यों की समीक्षा करके सोना चाहिए। आचार्य **भावमिश्र** ने सायःकाल में भोजन, मैथुन, निद्रा, पठन तथा मार्गगमन इन पांच बातों को वर्जित कहा है क्योंकि निषिध काल में भोजन से अन्नज रोग, मैथुन से गर्भविकृति, निद्रा लेने से दारिद्रय, पठन से आयु हानि तथा मार्गगमन से भय होता है। अतः ये कर्म त्याज्य है। **दक्षस्मृति** में रात्री के पिछले भाग में उठकर वेद का अभ्यास (अध्ययन) करना चाहिए। शेष दो पहर में सोने से ब्रह्मत्व प्राप्त होना बताया है।

सोने का स्थान पवित्र, खुला होना चाहिए। तकिया ठीक, न बहुत ऊंचा और न छोटा, ऐसा जिससे सिर कंधे के बराबर रहे। बिस्तर अच्छा लम्बा–चौड़ा होना चाहिए। पलंग घुटनों के बराबर ऊंचा होना चाहिए, जिस पर बैठने से पांव फर्श पर स्पर्श कर सके। पलंग कोमल और मंगलमय होना चाहिए। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। रात्री के प्रथम प्रहर में सोने से पूर्व, रात्रि के अंतिम प्रहर में अथवा निद्रा त्यागने पर, अपने–अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार चिंतन करना चाहिए।

त्रय उपस्तम्भा इति– आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति।

आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्य–ये तीन उपस्तंभ हैं। इन उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से शरीर यथास्थिति बना रहता है। उप का अर्थ है सहायक तथा स्तंभ का अर्थ है खंभा। मकान में खंभे दो प्रकार के होते हैं–एक प्रधान व दूसरा अप्रधान। इस प्रसंग में शरीर आत्मा के लिए मकान है। इस मकान के प्रधान खंभे वात, पित, कफ हैं तथा अप्रधान खंभे आहार, निद्रा व ब्रह्मचर्य हैं। इनमें भी सर्वप्रथम आहार को ही प्रधान माना गया है क्योंकि आहार से ही रस की उत्पत्ति, वातादि दोषों की उत्पत्ति और धातुओं का निर्माण होता है। आहार के अभाव में शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। आहार के विषय में हम संपूर्ण जानकारी पूर्व में इस पत्रिका में छपे लेखों से प्राप्त कर चुके हैं।

निद्रा–इसके बाद दूसरा स्थान निद्रा का है। निद्रा को भी महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि प्राणी नियमित रूप से अपने सभी कार्य करते हुए यथाकाल

सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। रात्री के प्रथम प्रहर में सोने से पूर्व, रात्रि के अंतिम प्रहर में अथवा निद्रा त्यागने पर, अपने–अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार चिंतन करना चाहिए।

– वैद्या हेतल दवे

उचित रूप में निद्रा का सेवन न करे तो स्वास्थ्य की हानि तथा मृत्यु तक भी हो सकती है। निद्रा, देह विश्राम के लिए है। कहा भी है कि **'अर्धरोगहरी निद्रा सर्वरोगहरी क्षुधा'।** निद्रा रोगहरण करने का आधा काम करती है। गाढ़ी निद्रा आरोग्यप्रद है। शरीर को धारण करने वाले भावों में निद्रा प्रथम है।

आचार्य **चरक** ने कहा है कि जब मन के क्लांत (थक जाने) हो जाने से क्रियाशील इंद्रियां भी क्लांत हो जाती है और अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है, तब मनुष्य को निद्रा आ जाती है। इस निद्रा को आचार्य **सुश्रुत** ने **वैष्णवी** निद्रा कहा है, क्योंकि जिस प्रकार भगवान विष्णु जगत का धारण–पोषण करते हैं उसी प्रकार यह निद्रा शरीर का धारण–पोषण करने वाली होती है। यह निद्रा स्वभावतः सृष्टि के समस्त प्राणियों को अपने वश में करने वाली होती है। इस निद्रा को **रात्रिस्वभावप्रभवा** भी कहा गया है, क्योंकि यह स्वभावतः रात्रिकाल में मनुष्यों को अपने वश में करती है।

दिन में निद्रा सेवन से कफ व स्निग्धता की वृद्धि होती है जबकि रात्रिजागरण रूक्षता उत्पन्न करने वाला है। फिर भी कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में दिन में ली जाने वाली निद्रा को सामान्य निद्रा कहा गया है। जो व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक– मानसिक कार्य व अध्ययन के कारण क्षीण हो गया हो, जिसे दस्त हो गया हो, जो पैदल यात्रा करता हो, जिसका भोजन यथोचित रूप में पचा हो, जो व्यक्ति श्वास, हिचकी, उदरशूल या अन्य प्रकार के शूल से पीड़ित हो, जिसे चोट लगी हो, जो व्यक्ति रात्रिजागरण करता हो, जो व्यक्ति क्रोध, भय आदि मन के वेगों से युक्त हो, बालक, वृद्ध आदि को दिन में शयन का निषेध नहीं है। इन अवस्था प्राप्त व्यक्तियों को दिवाशयन कराने से उनकी धातुएं सम हो जाती हैं, शरीर में व्याधि क्षमत्व की वृद्धि होती है, क्षीण

दिन में निद्रा सेवन से कफ व स्निग्धता की वृद्धि होती है जबकि रात्रिजागरण रूक्षता उत्पन्न करने वाला है।

धातु वाले व्यक्तियों के शरीर में धातुओं की पुष्टि होती है अतः स्वास्थ्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त अवस्था विशेष में दिन में निद्रा–सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति को दिन में शमन करना बताया गया है, क्योंकि इस ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणें शरीर से जलीयांश का शोषण करती हैं। परिणामतः शरीर में रूक्षता के कारण वायु का शमन हो जाता है।

दिन में शयन करने का निषेध– इन व्यक्तियों को दिन में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्थूल हों, जो नित्य अधिक दूध व घृत का सेवन करते हों, कफज प्रकृति के हों, कफज या कण्ठगत व्याधियों से पीड़ित हों।

निद्राकाल– रात्रि के प्रथम प्रहर व अंतिम प्रहर में नहीं सोना चाहिए। उसके अतिरिक्त शेष रात्रि जो लगभग छः घंटे की है उस भाग में निंद्रा का प्रयोग करना चाहिए।

निद्रा का महत्व– यदि निद्रा का सेवन उचित समय पर किया जाए तो शरीर को आयु और सुख से युक्त करती है। सुखपूर्वक निद्रा से शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक आरोग्यता भी प्राप्त होती है। ज्ञानेंद्रियों की अपने विषय में सुप्रवृति होती है। निद्रा का प्रभाव जीवन पर निम्न रूप में पड़ता है।

सुख–दुःख– सम्यक् व यथोचित् रूप में सेवन की गई निद्रा सुख प्रदान करती है तथा असमय की अयथोचित निद्रा दुःख व बैचेनी को उत्पन्न करती है।

पुष्टि–कार्श्य– पुष्टि–कार्श्य का तात्पर्य है शरीर का पुष्ट होना तथा दुबला–पतला होना। जब उचित रूप से निद्रा का सेवन किया जाता है तो शरीर में आहार का सम्यक् पाचन होता है जिससे शरीर में रस, रक्त आदि धातुओं की पुष्टि निर्बाध रूप में होती रहती है। परिणामतः शरीर के अंगावयय पुष्ट होते हैं। यदि अनुचित रूप से या अतिनिद्रा का सेवन किया जाए तो शरीरस्थ मार्ग कफ वृद्धि के कारण अवरुद्ध होते हैं जिससे धातुओं का पोषण यथोचित रूप में नहीं हो पाता तथा शरीर में बल का क्षय हो जाता है।

बल–अबल– सम्यक् निद्रा सेवन करने से शरीर व मन में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता रहती है जो कि बल है। व्यक्ति का शरीर भी ओजवान लगता है। असम्यक् निद्रा से इससे विपरीत होता है।

वृषता–क्लीबता– वृषता का अर्थ है वीर्यवृद्धि तथा पौरुष शक्ति की वृद्धि और क्लीबता का अर्थ है–नपुंसकता। सम्यक् निद्रा का सेवन करने से शरीरस्थ सभी धातुओं की पुष्टि होती है जिससे शुक्र धातु की भी वृद्धि होती है परिणामतः पौरुष शक्ति सम्यक् बनी रहती है। सम्यक् निद्रा से मानसिक प्रसन्नता होती है, जिससे मन में संकल्प शक्ति सामान्य रहती है, जो की सर्वोत्तम व भय भाव माना गया है इसके विपरीत अनुचित रूप में सेवन की गई निद्रा से धातुएं क्षीण हो जाती हैं परिणामतः व्यक्ति में शुक्र और ओज़ का क्षय हो जाता है जिससे दौर्मनस्यता आती है। आचार्य चरक ने दौर्मनस्य स्थिति को सर्वाधिक क्लीबकारक माना है।

ज्ञान–अज्ञान– जब किसी विषय का संयोग इंद्रिय से, इंद्रिय का संयोग मन और आत्मा से होता है तब इस संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब इंद्रियां और मन कार्य करते–करते थक जाते हैं तब निद्रा आती है। विश्राम के बाद मन व इंद्रियां पुनः विषय ग्रहण के लिए समर्थ हो जाते हैं। सम्यक् निद्रा से ज्ञानोत्पत्ति की क्रिया अबाधरूप से

चलती रहती है परंतु जब असम्यक् रूप से निद्रा का सेवन होता है तब ये दोनों ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते।

अतिनिद्रा या दिन में शयन से कफ की अधिकता हो जाती है जिससे विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। इसी प्रकार अल्पनिद्रा या अनिद्रा से इंद्रियों व मन को विश्राम न मिलने से ज्ञान ग्रहण क्रिया स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती।

इस तरह अनुचित रूप से या अकाल निद्रा का सेवन कालरात्रि की तरह सुख व आयु का नाश करने वाला बताया है। अकाल शयन से मोह, बुखार, पाचन शक्ति का मंद होना, जुख़ाम, शिरःशूल, सूजन, शरीर का भारी–भारी लगना आदि लक्षण होते हैं। अगर रात्री जागरण किया गया हो तो आचार्य **वाग्भट्ट** ने प्रातःकाल में जागरण काल के आधे समय तक बिना भोजन किए सोने का निर्देश दिया है। वर्तमान समय में अल्प निद्रा, अनिद्रा या अतिनिद्रा एक जटिल समस्या है निद्रा लाने वाली औषधियों का सेवन एक सामान्य विषय बन चुका है। अल्प निद्रा या अनिद्रा की स्थिति में दिनचर्या में निम्नोक्त बिन्दु पर अपना ध्यान देना चाहिए।

अल्प निद्रा या अनिद्रा की स्थिति में चिकित्सा

मालिश– विभिन्न औषधियों से सिद्ध तेल या सामान्य सरसों, तिल या नारियल के तेल से मस्तिष्क, पादतल या संपूर्ण शरीर की मालिश करने से वायु का शमन होता है व स्वाभाविक नींद आती है। **स्नान**– ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल से तथा शीत ऋतु में उष्ण जल से स्नान करने से अच्छी नींद आती है। **संवाहन**– शरीर को धीरे–धीरे दबाने से वायु का शमन होता है और नींद आ जाती है। **भगवत्स्मरण**– शयन पूर्व भगवत्स्मरण से भी नींद आ जाती है। **निद्रा लाने वाला आहार**– चावल के साथ दहीं, भैंस का दूध, घी आदि पचने में भारी पदार्थों का सेवन करने से अच्छी नींद आती है। **मानसिक भाव व व्यवहार**– मन के अनुकूल विभिन्न प्रकार की गंध व शब्द के श्रवण से नींद आ जाती है। सुन्दर, स्वच्छ, पवित्र, शय्या तथा अनुकूल शयनकाल से अच्छी नींद आती है। जैसे कहा गया है कि दिन में ऐसा कार्य न करें जिससे रात्रि को निद्रा न आए तथा रात्रि में ऐसा कार्य न करें जिससे दिन में मुख छुपाना पड़े।

अतिनिद्रा– स्वभाव से अतिनिद्रालु व्यक्तियों को अतिनिद्रा से बचने के लिए उपर्युक्त सभी भावों का त्याग करना चाहिए। आचार्य **चरक** ने अहित निद्रा को दूर करने के लिए व्यायाम, कार्य में संलग्नता, वातवृद्धि जन्य आहार–विहार, अनुपयुक्त शय्या, सत्त्व गुण की वृद्धि व तमोगुण के क्षय के लिए सात्त्विक कार्य करने बताये हैं।

(जारी ......)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

*संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो, हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–**'व्हाटसएप'**। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –*

स्वस्थ रहने के साधारण उपाय

- 90 प्रतिशत रोग केवल पेट से होते हैं।
- कुल 13 अधारणीय वेग हैं !
- 160 रोग केवल मांसाहार से होते है !
- 103 रोग भोजन के तुरंत बाद जल पीने से होते हैं। भोजन के 1 घंटे बाद ही जल पीना चाहिये।
- 80 रोग चाय पीने से होते हैं।
- 48 रोग ऐलुमिनियम के बर्तन या कुकर के खाने से होते हैं।
- शराब, कोल्डड्रिंक और चाय से ह्रदय रोग होता है।
- अण्डा खाने से ह्रदयरोग, पथरी और गुर्दे खराब होते हैं।
- मैगी, गुटका, शराब, सूअर का माँस, पिज्जा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, कोक से बड़ी आंत सड़ती है।
- भोजन के पश्चात् स्नान करने से पाचनशक्ति मन्द हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है।
- बाल रंगने वाले द्रव्यों (हेयरकलर) से आँखों को हानि (अंधापन भी) होती है।
- दूध (चाय) के साथ नमक (नमकीन पदार्थ) खाने से चर्म रोग हो जाता है।
- शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों से बाल पकने, झड़ने और दोमुहें होने लगते हैं।
- गर्म जल से स्नान करने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है।
- मुँह से साँस लेने पर आयु कम होती है।
- पुस्तक पर अधिक झुकने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और क्षय (टीबी) होने का भी डर रहता है।
- नीम के पत्ते खाने से रक्त शुद्ध होता है।
- तुलसी के पत्तों के सेवन से मलेरिया नहीं होता है।
- ह्रदय–रोगी के लिए अर्जुन की छाल, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना, मौसमी, सेंधा नमक, गुड़, चोकर–युक्त आटा, छिलके–युक्त अनाज औषधियां हैं।
- भोजन के पश्चात् पान, गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा होता है।
- अपक्व भोजन (जो आग पर न पकाया गया हो) से शरीर स्वस्थ रहता है और आयु दीर्घ होती है।
- मुलहठी चूसने से कफ बाहर आता है और आवाज मधुर होती है।
- जल सदैव ताजा (चापाकल, कुएं आदि का) पीना चाहिये, बोतलबंद (फ्रिज) पानी बासी और अनेक रोगों के कारण होते हैं।
- नीबू–गंदे पानी के रोग (यकृत, टाइफाइड, दस्त, पेट के रोग) तथा हैजा से बचाता है।
- फल, मीठा और घी या तेल से बने पदार्थ खाकर तुरन्त जल नहीं पीना चाहिए।
- भोजन पकने के 48 मिनट के अन्दर खा लेना चाहिए। उसके पश्चात् उसकी पोशकता कम होने लगती है।
- गेहूँ का आटा 15 दिनों पुराना और चना, ज्वार, बाजरा, मक्का का आटा 7 दिनों से अधिक पुराना प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मैदा (बिस्कुट, ब्रैड, समोसा आदि) कभी भी नहीं खिलाना चाहिए।
- खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है उसके बाद काला नमक का स्थान आता है। सफेद नमक जहर के समान होता है।
- जल जाने पर आलू का रस, हल्दी, शहद, घृतकुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन ठीक हो जाती है और फफोले नहीं पड़ते।
- पैर के अंगूठे के नाखूनों को सरसों तेल से भिगोने से आँखों की खुजली लाली और जलन ठीक हो जाती है।
- पान खाने का चूना 70 रोगों को ठीक करता है।
- चोट, सूजन, दर्द, घाव, फोड़ा होने पर उस पर 5–20 मिनट तक चुम्बक रखने से जल्दी ठीक होता है। हड्डी टूटने पर चुम्बक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में ठीक होती है।
- मीठे में मिश्री, गुड़, शहद, देशी (कच्ची) चीनी का प्रयोग करना चाहिए सफेद चीनी जहर होता है।
- कुत्ता काटने पर हल्दी लगाना चाहिए।
- टूथपेस्ट और ब्रुश के स्थान पर दातुन और मंजन करना चाहिए दाँत मजबूत रहेंगे।
- निरोग रहने के लिए अच्छी नींद और अच्छा (ताजा) भोजन अत्यन्त आवश्यक है।
- प्रातः का भोजन राजकुमार के समान, दोपहर का राजा और रात्रि का भिखारी के समान करना चाहिये।

9780910180

नोटबंदी से घटी देश में अरबपतियों की संख्या

नवंबर 2016 में बड़े मूल्य के नोट बंद किए जाने के बाद से देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, इस दौरान देश में अरबपतियों की कुल संपदा में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी 26 अरब डालर की संपदा के साथ सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट इंडिया के अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 132 अरबपति हैं, जिनकी कुल संपदा एक अरब डालर या अधिक है। कुल मिलाकर भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 392 अरब डॉलर आंकी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद देश में अरबपतियों की संख्या में 11 की कमी आई है। मुंबई में 42, दिल्ली में 21 और अहमदाबाद में 9 अरबपति हैं। बंबई सहित महाराष्ट्र में कुल मिला कर 51 अरबपति है।

भारत में घटी बेरोजगारी दर

बाजार अवधारणा के उलट भारत में बेरोजगारी की दर अगस्त, 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। देश के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।

एसबीआई इकोफ्लैश की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त, 2016 से फरवरी, 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी

की दर 17.1 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई। मध्य प्रदेश में यह 10 प्रतिशत से 2.7 प्रतिशत, झारखंड में 9.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत, ओड़िशा में 10.2 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत और बिहार में 13 से 3.7 प्रतिशत पर आ गई।

सस्ती होंगी सौर बिजली की दरें

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली एक अग्रणी कंपनी का मानना है कि नोटबंदी से सौर बिजली की दरें और कम होंगी, क्योंकि नोटबंदी की वजह से बैंकों से कर्ज मिलना सस्ता हुआ है। छतों पर सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी 'सनसोर्स एनर्जी' का कहना है कि पिछले महीने नीलामी में सौर बिजली की दरें पहले से ही गिरकर 3 रु. प्रति यूनिट हो चुकी हैं, जिसमें और गिरावट की संभावना है। सौर ऊर्जा की टैरिफ दरें 5 से 6.5 रुपये प्रति किलोवाट तक गिर चुकी हैं।

एसबीआई की 'वर्क फ्रॉम होम' सुविधा

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने

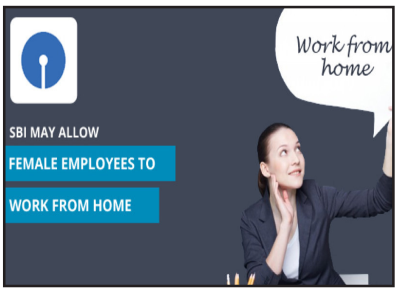

अपने कर्मचारियों के लिए एक खास सुविधा की पेशकश की, जिसके अंतर्गत वो घर से भी काम (वर्क फ्रॉम होम) कर पाएंगे। स्टेट बैंक के बोर्ड ने हाल ही में 'वर्क फ्रॉम होम' पॉलिसी को मंजूरी दी है ताकि कर्मचारियों को घर पर काम करने के लिए मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके उन सभी जरूरी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके, जो काम करने के लिए उन्हें यात्रा करने से रोकते हैं।

बैंक ने आगे कहा कि क्रॉस–सेल, मार्केटिंग, सीआरएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सेटलमेंट एंड मेकिलिलेशन, शिकायत प्रबंधन अनुप्रयोगों को और आगे बढ़ाने के लिए घर से काम करने को और सहूलियत भरा बनाया जाएगा और कर्मचारियों की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाया जाएगा।

कैशलेश के बाद अब फेसलेस की तैयारी

मोदी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को अब नए लेवल पर ले जाने की तैयारी की है। इसके तहत केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स में करप्शन कंट्रोल करने के लिए फेसलेस ट्रांजेक्शन करने की तैयारी है, ताकि सरकारी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आम आदमी को किसी सरकारी इम्प्लॉई से मिलने की जरूरत ही नहीं पड़े। सब कुछ बिना किसी मैन्युअल इंटरफियरेंस (हस्तक्षेप) के पूरा हो जाए। इसे ही सरकार फेसलेस ट्रांजेक्शन के तौर पर डेवलप करना चाहती है।

क्या है प्लानः ड्रॉफ्ट पेपर के अनुसार सरकार तीन तरह की कैटेगरी के जरिए गवर्नमेंट सर्विसेस पहुंचाना चाहती है– 1. कैशलेस ट्रांजैक्शन, 2. पेपरलेस ट्रांजैक्शन, 3. फेसलेस ट्रांजैक्शन

कैशलेस ट्रांजैक्शन के तहत पेमेंट गेटवे, ई–वॉलेट, ई–केवाईसी, यूपीआई सर्विसेस को शामिल किया जाएगा।

पेपरलेस ट्रांजैक्शन के तहत डिजिटल लॉकर, ई–सिग्नेचर, ई–फॉर्म, ई–फाइलिंग, रिकॉर्ड्स को डिमैटेरियलाइज्ड करना। *फेसलेस ट्रांजैक्शन* के तहत आधार लिंकेज, ई–केवाईसी, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ई–सिग्नेचर, मोबाइल आधार डिजिटल पहचान।

जीएसटी में किसानों/ छोटे व्यापारियों को छूट

केंद्र और राज्य सरकारों ने यह फैसला किया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत पंजीकरण में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी। वहीं 20 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस तरह की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जीएसटी कानून को 1 जुलाई से लागू करना चाहती है। जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि राजस्व के लिहाज से 20 लाख रुपए के छूट की सीमा हर राज्य के लिए मान्य होगी। हालांकि उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में यह सीमा 10 लाख रुपए तक है।

आंगनवाडी व आशाओं को मिलेगा ESIC-EPFO

केंद्र सरकार जल्द ही आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स और मिल डे मील योजना से जुड़े लोगों को ईएसआईसी और ईपीएफओ योजना के लाभ देने जा रही है। आंगनवाड़ीकर्मी, आशा बहनें और मिड डे मील योजना में 90 फीसदी महिलाएं हैं। इन लोगों की ईएसआईसी

और ईपीएफओ योजना का लाभ देने की मांग काफी समय है, जिसे पूरा किया जाएगा। इन लोगों को कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं मिल रही है। इसके अलावा यह लोग सरकारी के लिए सेवा कर रहे हैं न कि निजी क्षेत्र के लिए। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी।

बचत खाते में बैलेंस कम होने पर जुर्माना

देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उपभोक्ताओं के लिए नया नियम जारी किया है। इस नए नियम से बचत खाता रखने वाले उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो सकती है। एसबीआई 1 अप्रैल से नया नियम लागू करने जा रहा है जिसमें एक निश्चित बैलेंस से कम रखने वाले उपभोक्ता को फाइन भरना पड़ेगा। यह फाइन अभी सेविंग अकाउंट वाले उपभोक्ताओं को लगेगा। तर्क दिया जा रहा है कि इससे खाता को चालू रखने में जो लागत आती उसे निकालने के लिए ऐसा किया

जा रहा है। वर्तमान में एसबीआई 250 मिलियन यानी 25 करोड़ बचत खाते हैं। बैंक के नए नियम के अनुसार, शहरों में 5000 रुपए से कम मंथली बैलेंस होने पर फाइन लगेगा और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपए से कम मंथली बैलेंस होने पर फाइन देना पड़ेगा।

फाइन के नए नियम में कहा गया है कि मिनिमम बैलेंस से जितनी राशि कम होगी उसका 50 फीसदी देना होगा। इसके बाद 50 रुपए फाइन प्लस सर्विस टैक्स देना होगा। अगर या राशि 50 से 75 फीसदी तक कम हुई तो 75 फीसदी फाइन और सर्विस टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपके खाते का बैलेंस 75 फीसदी से भी कम हुआ तो 100 रुपए और सर्विस टैक्स देना होगा।

कर्मचारियों को तोहफा

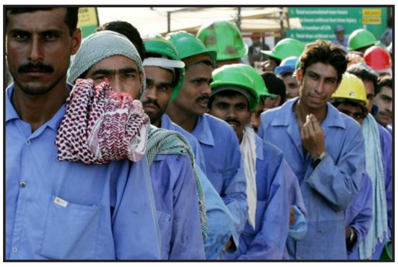

केंद्र की मोदी सरकार 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनकारियों को बड़ा तोहफा देने के मूड में है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 2 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डी.ए.) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेशनरों को महंगाई को बेअसर करने के लिए उनकी आमदनी पर दिया जाता है। हालांकि श्रमिक संगठन सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा डीए में बढ़ोत्तरी महंगाई से लड़ने के लिए काफी नहीं है।

तय फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार पूरे साल (12 महीने) के खुदरा महंगाई का एवरेज निकालकर महंगाई भत्ते में

बढ़ोत्तरी करती है। महंगाई भत्ते की दर तय करने के लिए सरकार दशमलव बिंदु से आगे कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार नहीं करता है। गौरतलब है कि दीवाली के ठीक बाद केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनरों को 2 फीसदी महंगाई भत्ता दिया गया था। इसका लाभ कमर्चारियों को 1 जुलाई 2016 से मिला था।

चीनी उत्पादन घटा

देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस साल गन्ने की कम पैदावार की वजह से चीनी के उत्पादन में करीब 18 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने बताया है कि 28 फरवरी तक चीनी का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि में हुए उत्पादन से करीब 37 टन कम है। इस बार 28 फरवरी तक चीनी उत्पादन 162.45 लाख टन का है। जबकि इसी अवधि में पिछले साल 199.43 लाख टन का उत्पादन हुआ था।

यूपी के हालात अच्छे: इस्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे हैं और राज्य के 107 मिल्स ने चीनी का उत्पादन किया है। 28 फरवरी तक यूपी में 62.46 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है जो पिछले साल के उत्पादन से 17 फीसदी अधिक है।

कर्नाटक: कर्नाटक में 28 फरवरी 2017 तक सिर्फ 20.50 लाख टन का उत्पादन हुआ। जबकि पिछले साल इसी अवधि में 36.15 लाख टन का उत्पादन हुआ था।

तमिलनाडु: 28 फरवरी तक 6.90 टन का उत्पादन किया, जबकि इसी अवधि में पिछले साल 5.28 लाख टन का उत्पादन रहा। *आंध्र प्रदेश और तेलांगाना:* 4.30 लाख टन का चीनी उत्पादन रहा। इसी अवधि में पिछले साल 6.51 लाख टन का चीनी उत्पादन हुआ। *गुजरात:* 8 लाख टन का चीनी उत्पादन किया। जबकि पिछले साल 9.19 लाख टन का चीनी उत्पादन किया था। *बिहार:* 4.30 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। पिछले साल 4.49 लाख टन का उत्पादन रहा। *उत्तराखंड:* 2.45 लाख टन, *पंजाब* में 4.50 लाख टन, *हरियाणा* में 3.75 लाख टन, *मध्य प्रदेश* और *छत्तीसगढ़* में 3.70 लाख टन का चीनी उत्पादन हुआ।

जीमेल पर 50 एमबी तक रिसीविंग

वर्तमान समय में जीमेल के ईमेल में 25 एमबी तक की फाइल रिसीव की जा सकती है और भेजी सकती है। मगर क्या आपको पता है कि जल्द ही ईमेल से 50 एमबी तक की फाइलें भी प्राप्त की जा सकेंगी। सर्च इंजन कंपनी गूगल के जीमेल ने ऐलान किया कि यूजर ईमेल से 50 एमबी तक की फाइलें रिसीव कर सकेंगे। कंपनी ने साफ किया कि यूजर अभी भी 25 एमबी तक की अधिकतम फाइलों को भेज सकेंगे मगर किसी अन्य डोमेन से 50 एमबी साइज का मेल आता है तो उसे आसानी से रिसीव कर सकेंगे। कंपनी ने कहा कि यह बदलाव धीरे–धीरे सभी यूजर के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि यूजर बड़ी फाइल साइज वाले मेल भेजना चाहते हैं उनके पास पहले से ही गूगल ड्राइव की सुविधा है। यह जीमेल के साथ पहले से ही जुड़ी होती है।

इस वर्ष भीषण गर्मी

साल 2017 के दौरान देश में गर्मी की मार तेज पड़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक जून के महीने तक देश के सभी हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान औसत से ज्यादा रह सकते हैं। इससे पहले साल 2016 भी देश के सबसे गर्म साल में से एक रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का बढ़ना एक ग्लोबल ट्रेंड है, और दुनिया भर में गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का सबसे ज्यादा असर उत्तर पश्चिम भारत में और हिमालय से जुड़े मैदानी भागों में देखने को मिलेगा। इन इलाकों में तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए ये अंतर घटता जाएगा।

मौसम विभाग के मुताबिक इस बात की 47 फीसदी संभावना है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग में चेतावनी दी है कि इन इलाकों में इस साल औसत से ज्यादा लू का असर देखने को मिल सकता है।

मोबाईल व आधार से जुडेंगे सेविंग अकाउंट

सरकार ने बैंकों को 31 मार्च 2017 तक सभी बचत खातों को मोबाइल और आधार संख्या से जोड़ने का निर्देश दिया है और ऐसे ग्राहकों के लिये मोबाइल बैंकिंग के लिये सक्षम बनाने को कहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी बैंकों को इसे अभियान के तौर पर चलाने की सलाह दी गयी है। मोबाइल के जरिये भुगतान के लिये खाते से मोबाइल नंबर को जोड़ना और एम–बैंकिंग हेतु उपयुक्त बनाना पूर्व शर्त है जबकि आधार संख्या से खाते को जोड़ा आधार युक्त भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के उपयोग के लिये एक पूर्व शर्त है।

एक अनुमान के तहत फिलहाल केवल 65 प्रतिशत बचत खाते मोबाइल नंबर से जुड़े हैं और 50 प्रतिशत आधार से संबद्ध हैं। मोबाइल नंबर से जुड़े कुल 65 प्रतिशत खातों में से केवल 20 प्रतिशत मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कर दी गयी है।

रिकॉर्ड 27.19 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान

सरकार ने वित्त वर्ष 2016–17 में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान जाहिर किया है। इसके अलावा गेहूं और दालों का भी उत्पादन क्रमशः 9.664 करोड़ टन और 2.214 करोड़ टन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। सरकार ने कहा कि अच्छे मॉनसून खाद्यान उत्पादन को फायदा मिलेगा।

	मौजूदा अनुमान' (2016–17)	*पिछला साल (2015–16)*
चावल	10.886	10.441
गेहूं	9.664	9.229
मोटे अनाज	4.434	3.852
दलहन	2.214	1.635
तिलहन	3.36	2.525
गन्ना	30.998	34.845

नोट–2016–17 के आंकड़े (करोड टन में) अनुमानित हैं।

चावल का कुल उत्पादन 10.886 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह एक रिकॉर्ड है। पिछले रिकॉर्ड (2013–14) 10.665 करोड़ से 22 लाख टन ज्यादा है। पिछले साल चावल का उत्पादन 10.441 करोड़ रहा था। 2015–16 के मुकाबले इस साल उत्पादन में 44 लाख टन की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में गेहूं के उत्पादन का अनुमान 9.664 करोड़ टन है। यह भी एक रिकॉर्ड है। पिछले साल यह 9.229 करोड़ था।

इस साल मोटे अनाज का उत्पादन 4.434 करोड़ टन अनुमानित है। 2015–16 के दौरान इसका उत्पादन 3.852 करोड़ रहा था। पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन 58 लाख टन ज्यादा है।

सभी मुख्य दलहनों के उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिली है। 2016–17 के दौरान दलहनों का कुल उत्पादन 2.214 करोड़ टन तक अनुमानित है। यह पांच वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 45 लाख टन ज्यादा है। मौजूदा वर्ष का उत्पादन पिछले साल के 1.635 करोड़ टन की तुलना में 57 लाख टन ज्यादा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2.525 करोड़ टन के मुकाबले इस साल तिलहन का उत्पादन 83 लाख टन बढ़ा है। इस साल तिलहन का उत्पादन 3.360 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। ❑

दिल्ली बजट 2017–18

दिल्ली सरकार ने 2017–18 के लिये 48,000 करोड़ रुपए का बजट 8 मार्च को पेश किया। इसमें मुख्य रूप से परिवहन, स्वास्थ्य, जल वितरण और शिक्षा संबंधी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है।

बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय राजधानी की वृद्धि दर 12.76 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। स्थानीय निकायों के लिये बजट में रिकार्ड 7,571 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह कुल आबंटन करीब 15 प्रतिशत है।

शिक्षा क्षेत्र के लिये 11,300 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का करीब 24 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 5,736 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं। दिल्ली का देश के जीडीपी में योगदान 2016–17 में बढ़कर 4.08 प्रतिशत हो गया, जो 2011–12 में 3.94 प्रतिशत था। 2,100 करोड़ रुपए जल क्षेत्र, 3,100 करोड़ रुपए शहरी विकास, दिल्ली महिला आयोग का बजट तीन गुना बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए व पर्यावरण विभाग के लिये 57 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं। ❑❑

प्रिय पाठकों, गत वर्ष दीपावली पर संपूर्ण भारत ने एक स्वतःस्फूर्त स्वदेशी आंदोलन देखा है। सब तरफ चायनीज़ वस्तुओं के बहिष्कार की एक प्रबल लहर न केवल देखी गई बल्कि अनुभव भी की गई। जिसका प्रत्यक्ष व्यापक असर भी दिखा। यह आंदोलन केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग व चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में ही नहीं है, अपितु सारे भारतीयों की सोच व मन एक है, इसका भी यह प्रमाण है। टाइम्स ऑफ इंडिया व ब्लूमबर्ग के संदर्भ से छपी रिपोर्टों के अनुसार भारत के अलग–अलग राज्यों में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक चाइनीज़ सामान की खरीददारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चाइनीज वस्तुओं के प्रतिरोध के इस आंदोलन को पूरे भारत में वैसा ही महत्व व स्वीकार्यता मिली है जैसी गांधी जी के स्वदेशी आंदोलनों को मिली थी। – **संपादक**

चीनी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों ???

- हमारा 190 देशों से व्यापार है उसमें सबसे बड़ा Trade partner चीन हो गया है। उसमें भी भारत से चीन को केवल 9 बिलियन डॉलर का सामान जाता है और चीन से आता है 61.8 बिलियन डॉलर, यानी 52.8 बिलियन का घाटा प्रतिवर्ष, जो रूपयों में बनता है– 3542 अरब रूपये।
- हमारे कुल विदेशी घाटे का 44 प्रतिशत अकेले चीन से हैं, पेट्रोल को अलग रखें (जो चीन से आता ही नहीं) तो 60 प्रतिशत से अधिक घाटा है।
- चीन भारी सब्सिडियां देकर, वहां के किसानों, मजदूरों का शोषण कर पर्यावरण का विनाश कर, बिना कर, अत्यधिक मात्रा में उत्पाद कर सस्ता माल भारत भेजता है इससे हमारे उद्योग धंधें बंद हो रहे है।
- रोजगार खत्म हो रहे हैं– हमारे लघु व मध्यम उद्योग बंद होने से गत 15 वर्षों में लाखों नौकरियां चीन चली गई है। हमें अपना रोजगार वापिस लाना है।
- हमारे व्यापार में बाधा डालने के लिए वह NSG (Nuclear Supplier Group) में हमारा प्रवेश नहीं होने दे रहा।
- पाकिस्तान को आंतकवाद फैलाने के लिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग कर रहा है। हमने Indus water treaty की समीक्षा की तो चीन ने भारत का जकोबा नदी का पानी बंद कर दिया।
- रूस व पाकिस्तान को साथ ले तालिबान आंतकियों को अफगानिस्तान (हमारा मित्र देश) में फिर खड़ा करने में लगा है। जैश–ए–मोहम्मद व उसके सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित नहीं करने दे रहा।
- 1962 से हमारी 43000 वर्ग किमी. जगह पर कब्जा कर रखा है। उस समय हमारे 3080 जवान शहीद हुए।
- अब भी अरूणाचल सहित 90000 वर्ग किमी. भूमि पर दावा कर रहा है। आए दिन चीन के सैनिक हमारी सीमा में घुसपैठ कर परेशान करते है।
- चीन सदैव भारत को चारों तरफ से घेरने, पड़ोसी देशों को हमारे खिलाफ खड़ा करने में लगा रहता है। पाकिस्तान में तो 3120 अरब रूपये का बड़ा आर्थिक भुगौलिक गलियारा CPEC (China-Pakistan Economic Coridor) बना रहा है।

इसलिए हमें ध्यान करना है कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, ट्रेड बैलेंस को ठीक करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक लंबा और निरंतर चलने वाला अभियान चलाना होगा। **भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के रोजगार की वृद्धि के लिए, भारत के उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए और कुल मिलाकर भारत को दुनिया का एक सर्वशक्तिशाली देश बनाने के लिए इस प्रकार के बड़े अभियान को सबको मिलकर, एकजुट होकर चलाना होगा।** इस राष्ट्रीय अभियान में हम सब तन, मन से जुटे, यही अपेक्षा है। ❑

भारत माता की जय